– द्वितीय अध्याय –

2– भारत व उत्तराखण्ड में पुलिस का संकल्पनात्मक स्वरूप तथा उत्तराखण्ड में पुलिस की प्रस्तावित ऐतिहासिक परिकल्पना –

2.1– भारत व उत्तराखण्ड में पुलिस का संकल्पनात्मक स्वरूप–

2.1.1– पुलिस की संकल्पना।

2.1.2– भारत में पुलिस का स्वरूप।

2.1.3– भारत में पुलिस की रूपरेखा।

2.1.4– उत्तराखण्ड पुलिस का स्वरूप।

2.1.5– उत्तराखण्ड में पुलिस की रूपरेखा।

2.2– उत्तराखण्ड में पुलिस की प्रस्तातिव ऐतिहासिक परिकल्पना–

2.2.1– प्राचीन कालीन पुलिस का स्वरूप।

2.2.2– मध्यकालीन पुलिस का स्वरूप।

2.2.3– आधुनिक कालीन पुलिस का स्वरूप।

2.2.4– स्वतन्त्रता के पश्चात पुलिस का स्वरूप।

Estelar

द्वितीय अध्याय

2. भारत व उत्तराखण्ड में पुलिस का संकल्पनात्मक स्वरूप तथा उत्तराखण्ड में पुलिस की प्रस्तावित ऐतिहासिक परिकल्पना :–

2.1 भारत व उत्तराखण्ड में पुलिस का संकल्पनात्मक स्वरूप :

2.1.1 पुलिस की सकल्पना :–

पुलिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'पोलितिया' से हुई है जिसका अर्थ है असैनिक अर्थात् नागरिक शासन। इसी प्रकार संस्कृत में 'पुर' को 'पौर' कहते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित शासन में प्रधान शासक को 'पौर' कहते थे। इसी क्रम में 'पौर' से सम्बन्धित अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें 325 ईसा पूर्व कुछ राज्यों में केवल राजधानी के प्रधान शासक को नहीं अपितु जानपद एक शासकीय मण्डल या जिला के शासक को भी पौर जानपद कहते हैं। पौर–जानपद कोई व्यक्ति विशेष या विशेष के लिए नहीं था वरन् एक ही जाति, गौत्र या गुट के लोगों का अलग–अलग शासन था यह शासन वयोवृद्ध की समिति द्वारा किया जाता था। इसी को पौर के नाम से जाना जाता था।

'पौर' शब्द का विश्लेषण प्राचीन मीताक्षरा कानून के व्याख्याता वीर मिश्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'वीर मित्रादेय' में करते हुए कहा है कि पुरवासियों के समूह को ही पौर कहते हैं। इस पौर संगठन में पुर की रक्षा करने वाले को 'पौरस' कहने लगे थे। इस सन्दर्भ में यह उल्लेख भी है कि –***जिस प्रकार शासन आजकल नगरपालिकाओं को अनुदान देता है वैसे ही जानपद को 'अनुग्रह' दान देने के प्रमाण हैं।***[1]

तथ्यों के उल्लेखित भाग में पौर जानपद को राजा ने सहत्र 'अनुग्रह' दान दिया। पौर जानपद अपने में पूर्ण स्वतन्त्र राज्य नहीं थे इनको भी विधि सम्मत केन्द्रिय नियमावली का पालन व अनुश्रवण करना होता था। इसी प्रकार पुर शब्द का विश्लेषण से पता चलता है कि इससे ही पुरूष शब्द का निर्माण हुआ है। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ में उल्लेख किया गया है कि –***"पुरू संज्ञे शरीरेऽस्मिन शयनात् पुरूषो हरि:।"***[2]

इसका अर्थ है कि शरीर रूपी पुर में रहने वाला मनुष्य स्वयं नारायण अर्थात् विष्णु है। अध्यात्म या आस्तिक दर्शन वेदान्त में पुरूष को आत्मा कहा गया है उसमें आत्मा को सदैव अजर अमर माना गया है। इस प्रकार प्राणीरूपी पुर में शयन करने वाला पुरूष है। पुरूष को आत्मा व जीव का वास्तविक रूप ही माना गया है। अतः पुण्य तथा धर्म कार्य

Estelar

की उससे अपेक्षा भी की जाती है। संस्कृत भाषा में पुरूष का अर्थ 'अधिकारी' भी माना जाता है। इस प्रकार पुरूष अधिकारी तथा पौर का संरक्षक "पौरूस" ये शब्द मिल गये थे इसी शब्द का पाली अपभ्रंश "पुन्निस" हो गया था।

प्रसिद्ध ग्रन्थ शुक्रनीति में राज कर्मचारियों को पुरूष कहा गया है। अतएव विद्वानों का मत है कि पद अथवा कार्य के अनुसार शासन में मंत्री, अमात्य तथा "पुरूष" तीन श्रेणियाँ रही हैं। इसी "पुरूष" शब्द का "पुन्निस" प्रयोग पाली भाषा में मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा अशोक द्वारा भी किया गया है क्योंकि "पुरूष" धर्म तथा कर्तव्य का भी प्रतीक माना गया है। सम्राट अशोक के पुलिस का अर्थ प्रजा से धर्म का कार्य कराना यानि पाप व अपराध नहीं करने देना है। ***"राजा को आठ प्रमुख व्यवहार दुष्ट निग्रह, दान देना, प्रजा का पालन यज्ञादि करना, न्यायपूर्वक कोष वृद्धि, राजाओं से कर संग्रह, शत्रुओं का मान मर्दन तथा राज्य वृद्धि भी माने जाते हैं।"***[3]

महान मौर्य सम्राट अशोक ने कहा मेरे रज्जुकों (राजकर्मचारियों) का बहुत अधिक (यानि लाखों जनों) लोगों पर शासन है। हमारे जिन रज्जुकों के जिम्मे अभिहार (युद्ध) अथवा दण्ड (गृह विभाग) है। वे स्वयं उस विभाग के संरक्षक हैं पूर्णाधिकारी शासक हैं। यह इसलिए कि वे बिना भय के स्थिर चित्त होकर अपना कार्य करें। राष्ट्र तथा जनपद के कल्याण तथा सुख का कार्य सम्पादन करें – यदि रज्जुक हमारी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमारे नीचे के कर्मचारी, उनके अधीन विभागों के अध्यक्ष पुरूष (पुलिसानि) का कर्तव्य होगा कि हमारे आदेशों का पालन करायें। ***"सम्राट अशोक ने अपने राज्यारोहण के 26वें वर्ष में जो आज्ञा प्रसारित की थी उसमें 'पुलिस' शब्द का स्पष्ट प्रयोग है।"*** [4]

इस प्रकार पुलिस शब्द या संस्था का प्रयोग आज से नहीं अपितु आदि काल से ही होता हुआ आया है, उपरोक्त वर्णित तथ्य जो सम्राट अशोक के शासनकाल से सम्बन्धित है इनके अनुसार पुलिस को अधिकार दिया गया था कि यदि राजा का प्रधान अधिकारी राजाज्ञा का पालन नहीं करता है तो वह अपने प्रधान का आदेश नहीं मान कर राजा के आदेश पर चले। राजा का आदेश ही सर्वोपरि तथा अन्नतिम है। अशोक के शिलालेख में "पुन्निस" अधिकारी है जिसे आदेश है कि वह प्राणदण्ड लोगों को दण्ड मिलने के तीन दिन पहले सूचित कर दें ताकि वे अपने भगवान को याद कर अपने पापों की क्षमा मॉग लें। इससे यह स्पष्ट होता है कि अशोक के राजकाल में पुलिस उन दिनों जेल का कार्य भी देखती थी और दण्ड विभाग का संचालन भी पुलिस ही करती थी। गृह विभाग के अन्तर्गत

Estelar

सम्पूर्ण मौर्य साम्राज्य की आन्तरिक सुरक्षा के साथ न्याय तथा व्यवस्था का भी संचालन करती थी।

अपराध तो वैदिक काल से होते आए हैं पहले अपराधों की संख्या बहुत कम थी लेकिन अब इसका अत्यधिक बोलबाला हो गया है। इस प्रकार अपराधों की व्याख्या भी निश्चित रूप में की गयी है। अथर्ववेद में अपराध शब्द आया है जिसका अर्थ अथर्ववेद के अनुसार अपने जीवन के लक्ष्य के विपरीत काम करना, पाप करना, गलत काम करना ऐसी स्थिति में अपराध की रोकथाम करने वाला दल पुलिस या पौरूष कहलाता था। परन्तु पुलिस और पौरूष के स्पष्ट भेद अशोक की शासन व्यवस्था से प्रकट नहीं होता है उस समय 'पुरूष' मंत्री के आधीन सेक्रेटरी जो आजकल के आई0ए0एस0 अधिकारी के रूप में था। रज्जुक (लजुक) भी आजकल के आई0ए0एस0 कमिश्नर या गवर्नर की तरह था। इस प्रकार उस "पुरूष" के आधीन "पुलिस" थी। ***"मनुस्मृति तथा महाभारत में भी पुरूष शब्द "अधिकारी" के अर्थ में प्रस्तुत हुआ है। मानव के अर्थ में इसका प्रयोग ऋग्वेद में सबसे पहले हुआ था। पुरूष से ही "पुलिस" नाम एक बड़े विद्वान का प्राचीन भारत में था जो वाराहमिहिर की वृहत् संहिता के अनुसार एक सिद्धान्ताचार्य थे।"***[6]

इस प्रकार पुलिस शब्द की उत्पत्ति प्राचीन काल से ही हुई है। इस शब्द का प्रयोग समस्त नीति शास्त्रों में भी प्रयुक्त हुआ है। पुलिस शब्द की रचना भारतीय व्यवस्था के अनुसार प्राचीन काल से ही हुई है। विश्व की पुरानी सभ्यता में मिश्र का नाम लिया जाता है। यह भारतीय आर्य सभ्यता का एक अंश माना जाता है। असीर्रिया का सम्बन्ध भी मिश्र से है। असीर्रिया की राजधानी का नाम ही था 'असुर' लेकिन बाद में यह राजधानी परिवर्तित करके "मिनेवह" बना दी गयी। इस नयी राजधानी का नाम 'नवीन' नया था जो संस्कृत भाषा का शब्द है। अतःएव यह माना गया है कि इस प्रान्त ने भी भारत से शासन प्रणाली के सिद्वान्तों को प्राप्त किया है।

मिश्र व यूनानी सभ्यता को प्राचीनतम् गणतन्त्र राज्य कहते हैं क्योंकि यहाँ प्रत्येक नगर स्वयं का शासक के रूप में था। इस सन्दर्भ में लेखक पार्जिटर का मानना था कि भारत में 76 गणतन्त्र राज्य थे। राजसत्ता के प्रबल समर्थक नीति के प्रकाण्ड पंडित चाणक्य ने गणतन्त्रों का अत्यधिक विरोध किया है। इतिहास के मध्य युग तक यूनान के नगर राज्य जैसे भारत के पौर जानपद थे जिनकी पुलिस शासन प्रणाली भी थी जिसकी ईसा से 612 वर्ष पूर्व इस गणराज्य के इति की बात कही गयी है उस गणराज्य को असीरियन गणराज्य

Estelar

कहा जाता था। इस गणराज्य में प्रभु अथवा ईश्वर को असुर के नाम से पुकारा जाता था इसी प्रकार बेबीलोन में 'मर्दुक' जिसको भगवान शंकर अथवा कैलाशपति 'महादेव' का अपभ्रंश माना जाता है। इन सब तथ्यों तथा पूर्व सभ्यताओं से प्राप्त साक्ष्यों या अवशेष से यह अवगत होता है कि यह शब्द शासन पद्वति का अत्यधिक प्राचीनतम् शब्दों में से एक है। जो उस समय की शासन व्यवस्था में शान्ति व सुरक्षा से सम्बन्धित रहा होगा।

मिश्र की स्वाधीनता के विषय में भी प्राचीन आलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें कहा गया है कि ईसा से 525 वर्ष पूर्व ईरानियों द्वारा मिश्र की स्वाधीनता का हरण किया गया था। इसी प्रकार ईसा से 323 वर्ष पूर्व सिकन्दर द्वारा भी मिश्र की स्वाधीनता को समाप्त किया गया था। इससे जुड़ते तथ्य में 641 ई0 में मुस्लिम शासकों ने इसे मुसलमान अधिपत्य में बदल दिया था। इस प्रकार इस भूभाग पर भारतीय सभ्यता का लोप हो गया था। इससे सम्बन्धित तथ्य ईसा से 146 वर्ष पूर्व यूनान जो की एक पुरानी सभ्यता का नगर है रोम साम्राज्य के अधीन रहा। इस समस्त तथ्यात्मक पहलुओं से मिश्र–बेबीलोन–असीरिया सभी प्राचीन सभ्यताएँ के बिखरे हुए अंश हमारी भारतीय सभ्यता से जुड़े हैं। हमारी संस्कृति व शासन प्रणाली के शब्दों का प्रयोग यहाँ होता हुआ आया है। जो भारतीय शासन व्यवस्था की प्राचीन गाथा के सत्य तथा तथ्यपूर्ण अवशेष हैं।

भारतीय तथा अन्य नगर सभ्यता के विषय में अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि पुलिस शब्द का प्रयोग अत्यधिक प्राचीनतम् है। जिस प्रकार लैटिन भाषा के 'पीलितिया' शब्द से 'पुलिस' शब्द का प्रारम्भ को जानने का प्रयास करते हैं तो मध्य इटली के लैतियन नामक मैदानी क्षेत्र की भाषा को "इण्डो–यूरोपियन" "भारतीय–यूरोपियन" भाषा को भी लैटिन कहते हैं। इस सन्दर्भ में पश्चिमी विद्वानों का मत जानने का प्रयास करें तो यह भाषा आर्य भाषा तथा यूरोप की भाषाओं से निकली हुई है। प्राचीन रोमन भाषा होने के कारण यह भाषा रोम के बढ़ते प्रभाव के कारण यूरोप की राजभाषा हो गयी और वहाँ से स्पेन तथा पुर्तगाल के लोग दक्षिणी तथा मध्य अमेरिका के उपनिवेशों में ले गये। ईसा से 7 वर्ष पूर्व से 14 वर्ष बाद तक के समय को इस भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता था। पश्चिम के विद्वानों तथा साहित्यकारों तथा साहित्य खोजकों ने इस भाषा को लगभग 2000 वर्ष पुरानी माना है जबकि प्राकृत–संस्कृत–पाली भाषा कम से कम 6000 से क्रमशः 3000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इस प्रकार कहा गया है कि– ***"लैटिन 'पोलितिया' शब्द भारतीय पौरूष–पुलिस तथा पुरूष शब्द से निकला है।"***[6]

Estelar

इस तथ्य के स्पष्टिकरण से ज्ञात होता है कि लैटिन भाषा का 'पोलितिया' शब्द भारतीय पौरूष–पुलिस या पुरूष शब्द से निकला हुआ है। यूरोप के नागरिक या जन समुदाय के लिए यह शब्द चाहे लेटिन भाषा से ही माना जा सकता है अपितु भारतवर्ष या समस्त भारतीयों को इस तथ्य से गर्व या अभिमान होना चाहिए पुलिस इस शब्द का सूत्रधार, रचनाकार भारतवर्ष है अथवा पुलिस संरचना की शुरूआत भारत वर्ष से ही हुई है। हमने ही सम्पूर्ण समाज या सम्पूर्ण विश्व को पुलिस नामक संगठन का विशेष ज्ञान प्रदान किया है। सम्राट अशोक के समय पुलिस की व्याख्या स्पष्ट हो चुकी थी उनका मानना था कि– ***"राजकर्मचारी को पुरूष कहा है उनके अनुसार राजकर्मचारी को बहुत समय तक एक ही पद पर नहीं रहना चाहिए। सम्राट–अशोक ने भी यही नियम रखा था कि हर चार पाँच वर्ष पर राजकर्मचारी का स्थानान्तरण तबादला हो जाय। अच्छा काम करने पर उनकी पदोन्नति हो।"***[7]

इस प्रकार भारतीय शासन व्यवस्था तथा समस्त शासन प्रणालियों में पुलिस शब्द अत्यधिक प्राचीनतम् शब्दों में से एक माना जाता है। यह शब्द मौर्य काल, गुप्त काल तथा अन्य कालों में भी आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति स्थापित करने वाली व्यवस्था से जुड़ा हुआ शब्द माना गया है। इस शब्द के माध्यम से ही सुरक्षा, शान्ति तथा न्याय व्यवस्था को नियमित करने वाले संगठन का नामोच्चारण हुआ है।

2.1.2 भारत में पुलिस का स्वरूप :–

भारत के राजनैतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास के मूल में एक तथ्य स्पष्ट है कि यहाँ प्रजातान्त्रिक मूल्यों के आधार पर शासन व्यवस्था संचालित रही है। भारत में पुलिस शब्द का प्रयोग मौर्य शासन काल में स्पष्ट रूप से हुआ था। मौर्य साम्राज्य में तो वैतनिक पुलिस से सम्बन्धित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल में भी पुलिस संगठन का उल्लेख प्राप्त हुआ है। इसमें प्रांगिक या 'पुरपाल' को नगर पुलिस का प्रमुख माना जाता था।

मुगल काल में भी विभिन्न मुगल शासकों के प्रशासन में पुलिस व्यवस्था के स्पष्ट उदाहरण मिले हैं लेकिन सबसे उत्तम पुलिस व्यवस्था शेरशॉह सूरी के शासन काल में रही है। भारतीय पुलिस के स्वरूप को परिवर्तित करने का कार्य ब्रिटिश शासकों द्वारा मुख्य रूप से किया उन्होंने ब्रिटिश काल में केन्द्रीय स्तर पर पुलिस संगठन को संचालित किया ग्रामीण स्तर पर पुलिस का स्वरूप बदल दिया। कार्नवालिस तथा वारेन हेस्टिंग्स के समय

Estelar

पुलिस व्यवस्था को केन्द्रीय शासन व्यवस्था के साथ जोड दिया गया था। पुलिस संगठन को सुधारने हेतु सर्वप्रथम ब्रिटिश शासकों द्वारा 1813 ई0 में एक कमेटी का गठन किया गया था इस समय वैतनिक पुलिस की स्थापना पर बल दिया गया था। पुलिस संगठन में सुधार हेतु कहा गया कि – ***"अगर यही हालात बने रहे तो हमें शायद भूल जाना होगा कि इस देश में पुलिस नाम की कोई चीज है। हाँ उसे शासक वर्ग का एक "मिलिशिया" या बल कहा जा सकेगा।"***[8]

1813 की कमेटी में बड़े दूरदर्शी सुझाव आये। इसमें जजों या न्यायाधीशों के हाथ से पुलिस को हटा दिया जाय यानि पुलिस व्यवस्था को कलेक्टर को सौंपा जाय। इसमें पुराने भारतीय पुलिसिया व्यवस्था को भी ठीक माना गया। अंग्रेजी शासन के समय पृथक पुलिस व्यवस्था के लिए इससे पूर्व 1808 ई0 में बंगाल में कुछ स्थानों पर पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट को नियुक्त किया गया जो यूरोपियन थे यह संगठन भी दोषपूर्ण माना गया। इस समय पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए कम्पनी अधिकारियों ने कहा कि पुलिस के संगठन को मजबूत बनाया जाय तथा पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों को वैतनिक आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाय। जिलों में जिलाधिशों को नियुक्त किया जाय तथा डिप्टी मजिस्ट्रेटों की भी स्थायी नियुक्ति करके प्रशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाय।

1857 के स्वतन्त्रता संग्राम ने ब्रिटिश हुकुमत की नींव को हिला दिया था। ब्रिटिश सरकार को हर स्तर पर सोचने व समझने के लिए मजबूर कर दिया था। देशी पलटनों की स्थिति भी उस समय बिगड़ गयी थी इस प्रकार स्वदेशी हुकमरानों पर अंग्रेजी शासकों का विश्वास टूट चुका था। ब्रिटिश शासकों ने यह निश्चय कर लिया था कि अधिकारी वर्ग में अंग्रेजी या यूरोपियन को ही रखा जायेगा। इस प्रकार पुनः पुलिस संगठन के लिए 1860 में कमीशन नियुक्त किया गया। जिसमें पुलिस का कार्य यह बताया गया है कि यह समाज के रक्षा के साथ अपराधों पर भी नियन्त्रण करने का कार्य करे। इसके आधार पर ही 1861 का पुलिस एक्ट लागू हुआ। इस एक्ट की धारा 2 के अनुसार पुलिस प्रशासन प्रान्तों को सौपा गया लेकिन उनकी संख्या तथा वेतन का निर्धारण केन्द्रीय शासन की अनुमति से होगा जिसमें गवर्नर जेनरल को ही मुख्य नियन्त्रक रखा गया। धारा–4 के अनुसार हर प्रान्त में इस्पेक्टर जेनरल पुलिस नियुक्त किया गया। जिसके अन्तर्गत सहायक या डिप्टी इस्पेक्टर जेनरल होंगे। जिले में सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस तथा सहायक सुपरिटेन्डेन्ट अधिनस्त पुलिस होंगे। जिस पर वास्तविक नियन्त्रण जिला मजिस्ट्रेट का होगा। जिलाधीश का

Estelar

पुलिस पर नियन्त्रण कम्पनी के शासन काल में सफल नहीं हुआ। ***"जब तक पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त नहीं किया जायेगा तब तक पुलिस चाहते हुए भी पूरी तरह संवेदनशील नहीं हो सकती।"***[9]

इस समय पुलिस संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि दंगों व उपद्रवों को समाप्त करने के लिए दण्डात्मक पुलिस की भी व्यवस्था की जाय। इस एक्ट के अनुसार हर थाने में एक हेड–कास्टेबल की नियुक्ति का प्रावधान भी रखा गया। पुलिस पर न केवल जिलाधीश अपितु मण्डलीय कमिश्नरों का नियन्त्रण भी होता था जो पदेन "डिप्टी इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस" होते थे जो आज के सन्दर्भ में पूर्ण कालीन डी0आई0जी0 है। इस प्रकार एक संगठित ढांचा निर्मित किया गया। 1864 के अन्त में पुलिसजनों की कुल संख्या 154435 थी। 1863 में ठगी व डकैती के दमन के लिए अलग मेहकमा खोला गया था जिसे पुनः संगठित किया गया। जिसका प्रधान एक सुपरिटेन्डेन्ट जेनरल था जिसके अधीन सात असिस्टेन्ट सुपरिटेन्डेन्ट जेनरल थे। 1877 में इसे पुनः संगठित कर केन्द्रीय खुफिया एजेन्सी का नाम दिया गया। वह सीधे केन्द्रीय शासन को राजनैतिक, सामाजिक एवम् षडयन्त्रों तथा गतिविधियों की नियमित रूप से सूचना देती थी तथा विदेशी लोगों पर भी निगरानी रखती थी। ***"ब्रिटिश साम्राज्य के हित में यह आवश्यक है कि उसे देशी लोगों की गतिविधि की पूरी जानकारी रहे।"***[10]

पुलिस संगठन को और अधिक कारगार बनाने हेतु 2 मार्च 1882 में नयी दण्ड विधान संहिता का निर्माण किया गया। जिसमें 46 अध्याय, 3 खण्ड तथा 558 धारायें थी। सरकारी मुकदमा चलाने वाला "पब्लिक प्रॉसीक्यूटर" की इसी नयी संहिता के माध्यम से नियुक्ति की गयी। इस प्रकार पुलिस गजट भी छपना आरम्भ हो गया। पुलिस के प्रति इसके उपरान्त भी ब्रिटिश शासकों का दृष्टिकोण उदासीन ही रहा। समय–समय पर पुलिस दण्ड संहिता में आवश्यकता के अनुसार संशोधन भी हो रहे थे। इन संशोधनों को भारतीय समुदाय के आन्दोलनकारियों को दबाने का प्रयास के लिये किया जा रहा था।

23 अप्रैल 1903 को कमीशन के आधार पर केन्द्र व प्रान्त पुलिस की खुफिया पुलिस में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने पर बल दिया गया। उसी आधार पर आज देश में सी0आई0डी0 का स्वरूप निर्मित हुआ। इसका क्षेत्र वृहत कर दिया गया रेलवे की अपराध शाखा भी इसी के पास आ गयी। जो वर्तमान सी0बी0आई0 का प्रारम्भिक स्वरूप था। प्रान्तीय सी0आई0डी0 के लिए पृथक डी0आई0जी0 तथा केन्द्रिय खुफिया पुलिस के लिए

Estelar

पृथक डायरेक्टर की नियुक्ति अप्रैल 1904 में की गयी। इस प्रकार निरन्तर दंगे, उपद्रव बढ़ ही रहे थे। 1911 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय दण्ड विधान तथा स्थानीय व विशेष कानूनों के तहत 1220283 अपराधों को दर्ज किया गया। 1910 में संयुक्त प्रान्त में मोटर वेहिकिल्स एक्ट को भी लागू किया गया। क्रान्तिकारियों के दमन हेतु 1913 में भारतीय दण्ड विधान में दफा 120 अ तथा 120 ब जोड़कर उसे और व्यापक व कठोर बना दिया गया।

4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन में भी प्रथम महायुद्ध छिड़ गया। जर्मनी ने युद्ध की घोषणा कर दी। इसकी आशंका से ब्रिटिश सरकार के लिए भारत में पुलिस का महत्व बढ़ गया। सेना को युद्ध स्थल में भेजने के लिए तैयार रखना था। पुलिस अधिकारी संवर्ग में यह असन्तोष फैला कि इस्पेक्टर जेनरल के पद तक उनका पहुँचना असम्भव है। इण्डियन पुलिस सर्विस के लोग ही पुलिस में लाद दिये जाते हैं। इण्डियन पुलिस सर्विस संस्था ने जो इस समय तक स्थापित हो चुकी थी इस स्थिति का विरोध किया था। इसके सन्दर्भ में ब्रिटिश लोकसभा में प्रश्न उठा कि –***"क्या भारत– सचिव को मालूम है कि भारतीय में सबसे अधिक वेतन वाली नियुक्ति में, इंस्पेक्टर जेनरल के पद पर, संयुक्त प्रान्त तथा पंजाब को छोड़कर केवल आई0सी0एस0 के लोग नियुक्त होते हैं, जिन्हें पुलिस के काम का कोई अनुभव नही होता है और 3 से 5 वर्ष तक इस पद पर रहकर वे तरक्की करके और पदों पर चले जाते हैं। और ऐसी ही नियुक्ति के कारण 25–30 वर्ष तक इस सेवा में रहने वालों का हक मारा जाता है।"***[11]

भारत में धीरे–धीरे समाज सुधार के संगठन भी मजबूत आधार ले रहे थे। 1917 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की शासन सुधार की मांग को भी ब्रिटिश शासकों द्वारा ठुकराना भी उचित नहीं था क्योंकि ब्रिटेन अपने मातहत राष्ट्रों पर अपना अधिकार मजबूत करना चाहता था। इस प्रकार ब्रिटिश सांसद हाउस ऑफ कामन्स में भी भारत सचिव द्वारा कटूनितिज्ञ घोषणा की थी कि –***"सम्राट की सरकार की यह नीति है कि भारत के शासन में अधिकतम भारतीयों का हाथ हो ताकि वह धीरे–धीरे स्वशासन के योग्य बन कर ब्रिटिश साम्राज्य के अर्न्तगत स्वशासित देश हो सकें।"***[12]

ब्रिटिश सरकार ने समय–समय पर भारतीय जनता का विरोध व दमन करना नहीं छोड़ा। निरन्तर कुछ न कुछ दमनात्मक नीतियों को लागू किया गया जिसका एक भाग रौलट एक्ट भी था। पुलिस को ब्रिटिश शासन के लिए अन्धभक्त बनाने की दृष्टि से

Estelar

सरकार द्वारा पुलिस पुरस्कार भी रखे ये पुरस्कार उनको दिये गये जो ब्रिटिश सरकार की चाटुकारिता करते थे या उनके प्रति वफादारी दर्शाते थे। फिर 4–5 सितम्बर 1920 को असहयोग आन्दोलन की घोषणा की गयी जिसमें कहा गया कि –*"हर वैद्य तथा शान्तिमय उपाय से स्वराज्य प्राप्त करना।"*[43]

इस आन्दोलन में भारत के हर वर्ग ने भागीदारी निभायी। यह आन्दोलन धीरे–धीरे हिंसात्मक हो गया था। क्रान्तिकारियों ने भी इस आन्दोलन को हिंसक बना दिया था। हिंसात्मक होने के कारण असहयोग आन्दोलन समाप्त कर दिया गया। फिर 1928 में साइमन कमीशन की स्थापना की गयी। जो 1929 तक चलता रहा। इसका व्यापक विरोध हुआ जिसने समाज में पुनः जागृति लाने का कार्य किया। अन्त में इस कमीशन को भी समाप्त कर दिया गया। इस दौरान भारतीय समुदाय तथा जनता का विरोध पुलिस के खिलाफ चलता ही रहा तथा पुलिस के खिलाफ भी लोगों का आन्दोलन चलता रहा। ***"भारत में सत्याग्रह आन्दोलन एक क्रान्ति है। इसके कारण बहुत सी जानें जा चुकी है तथा जनता में ऐसी बर्बर भावना भर गयी है कि पुलिस को उसका मुकाबला करना पड़ रहा है। इग्लैन्ड में पुलिस को जनता की सहानुभूति तथा समर्थन प्राप्त रहता है यहाँ पुलिस अकेली पड़ गयी है। उसे ऐसे वातावरण में काम करना पड़ रहा है जिसमें संसार की बहुत ही सरकार भक्त पुलिस को भी बड़ी कठिनाई हो जाएगी।"***[44]

ब्रिटिश शासन काल के दौरान पुलिस के दमनात्मक व्यवहार के कारण उसे किसी भी प्रकार का सामाजिक सहयोग नहीं प्राप्त होता था। सत्याग्रह आन्दोलनों की सफलता से ब्रिटिश सरकार अत्यधिक चिन्ताग्रस्त हो गयी थी इसके उपरान्त पुलिस के आन्तरिक स्वरूप में बहुत परिवर्तन नहीं हुए। परन्तु समय–समय पर सरकार ने अपने हित को ध्यान में रखकर नियम संहिता (भारतीय दण्ड संहिता) में अमूलचूक परिवर्तन किये। 1933 में आई0पी0एस0 का नाम आई0पी0 रखा गया। इस प्रकार जनमत को सत्याग्रह के उपरान्त इतना बल मिला कि अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने की घोषणा कर दी। भारत आजाद हुआ तथा उसका अपना पृथक संविधान बना। प्रशासन की दृष्टि से अनेक विभागों के साथ अत्यधिक महत्वपूर्ण विभाग गृह विभाग का निर्माण हुआ। 1950 के संविधान के अनुसार न्याय व्यवस्था, पुलिस व प्रशासन आदि पूर्ण स्वतन्त्र हैं। परन्तु इन पर गृह विभाग का अप्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण रहेगा। स्वतन्त्रता के पश्चात पुलिस सेवा में परिवर्तन आये। परन्तु फिर भी अभी तक 1861 का पुलिस एक्ट ही पूरे देश में पुलिस संघटन का आधार

Estelar

है। पुलिस सेवा के विषय में सभी प्रदेश स्वतन्त्र हैं। इस प्रकार देश भर में एक संगठित तथा मौलिक नियम के तहत पुलिस है। उच्चतम पुलिस अधिकारी यानि इण्डियन पुलिस सर्विस में भर्ती, प्रशिक्षण तथा प्रदेशों में नियुक्ति केन्द्र सरकार ही करती है। 1861 पुलिस एक्ट के अनुसार हर प्रदेश के पुलिस विभाग का सर्वोपरि अधिकारी "इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस" होगा। वह प्रदेश सरकार के मातहत होगा। उसने अन्तर्गत आवश्यकता के अनुरूप 'डिप्टी इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस' होंगे। जिला स्तर पर सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस होगा जो जिले की प्रशासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगा। अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है अब जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है। जिसके अर्न्तगत एक या दो (शहर व देहात) सुपरिटेन्डेन्ट होते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिलाधीश के कंट्रोल या नियमन पर भी कार्य करता है। 1974 के बाद प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अब "डायरेक्टर जेनरल" का पद दे दिया गया है। ***"सरकार और प्रशासन एक सिक्के के दो पहलु ही नहीं अपितु एक–दूसरे के पर्याय हैं। किसी भी सरकार की सफलता उसके प्रशासन की दक्षता और कार्य कुशलता से ही होती है।"***[15]

पुलिस प्रशासन में इंस्पेक्टर जेनरल के अधिकार बहुत व्यापक हैं जो अब "डायरेक्टर जेनरल" है। वह अपने विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होने के कारण अपने प्रदेश की शान्ति व्यवस्था तथा सुरक्षा एवम् प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। अर्थात् वह कानून व व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी है। पुलिस संगठन में निरन्तर बदलाव आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1983 में एक डायरेक्टर जेनरल के अतिरिक्त एक मुकदमों का डायरेक्टर भी था। जिसमें इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस के 14 डिप्टी इंस्पेक्टर जेनरल के 45, सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस के 269, सहायक सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस 104, संयुक्त सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस के 11, डिप्टी सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस के 721 तथा अग्निसेवा, पुलिस रेडियो आदि के 61 पद या अधिकारी थे। इन अधिकारियों में चार मण्डलीय इंस्पेक्टर जेनरल आगरा, लखनऊ, मुरादाबाद, गोरखपुर है इसमें आई0जी0, पी0ए0सी0, इंटेलीजेंस, रेलवे, ट्रेनिंग, सी0आई0डी0, स्पेशल जॉच, प्रधान कमांडेन्ट होमगार्ड, सिविल डिफेंस, विजिलेंस तथा एक आई0जी0 पुलिस हेड क्वाटर था।

पुलिस एक्ट 1861 की धारा–4 के अनुसार सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिले में अपने विभाग का सर्वोपरि अधिकारी होता है। उसे जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नियन्त्रण में कार्य करना होता है। 1983 में प्रदेश में पुलिस महकमों का

Estelar

स्वरूप में डायरेक्टर जेनरल, इंस्पेक्टर जेनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जेनरल (प्रथम) डिप्टी इंस्पेक्टर जेनरल (द्वितीय), सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस (चयन वेतनमान), सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस, असिस्टेन्ट सुपरिटेन्डेन्ट, डिप्टी सुपरिटेन्डेन्ट (वरिष्ठ), डिप्टी सुपरिटेन्डेन्ट (द्वितीय), इंस्पेक्टर, सब–इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर (सलेक्शन ग्रेड), असिस्टेन्ट सब इंस्पेक्टर, हेड–कांस्टेबुल तथा कास्टेबुल होते थे।

इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग में व्यावहारिक विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस मोटर ट्रासर्पोट विभाग, उ0प्र0 पुलिस रेडियो विभाग, अग्नि शमन सेवा व पुलिस प्रशिक्षण भी था। भारतीय पुलिस के रूप में केन्द्र सरकार के पास सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, इन्डोतिबेतियन बार्डर पुलिस, इन्डस्ट्रियल सेक्योरिटी पुलिस फोर्स, असम रायॅफल्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजन्स तथा सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन है। इन सबके कार्य क्षेत्र भी निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस के पास अपराधी के पकड़े जाने के उपरान्त अदालत में पुलिस विभाग की ओर से मुकदमा चलाने के लिए प्रॉसीक्यूटर यानि अभियोक्ता (अभियोजन अधिकारी) भी नियुक्त किया जाता है। इसी क्रम में पुलिस के पास रेलवे का कार्य भी रहता है जिसे सरकारी रेलवे पुलिस कहा जाता है।

2.1.3 भारत में पुलिस की रूपरेखा :–

पुलिस की रूपरेखा पर प्रकाश डालने से ज्ञात होता है कि पुलिस का कार्य भी प्राचीन काल में सेना करती थी लेकिन मिश्र आदि प्राचीन देशों में पुलिस बल के गठन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इतिहास प्रसिद्ध दारा प्रथम (डैरियस) ने ईरान साम्राज्य पर ईसा से 522 वर्ष पूर्व से 485 वर्ष पूर्व तक यानि 36 वर्ष तक राज्य किया। वह अपने विशाल साम्राज्य में संगठित पुलिस को रखता था जिसका नाम तो नहीं अवगत हुआ परन्तु आन्तरिक कानून व व्यवस्था हेतु संगठन अवश्य था। ऐथंस तथा स्पार्टा में भी आन्तरिक शान्ति तथा व्यवस्था के लिए धुनषधारी रक्षक या पहरेदार होते थे। ये ही वहाँ पर पुलिस की तरह कार्य करते थे। रोमन सम्राट आगस्टस ने नागरिक पुलिस को संगठित किया जिसका कार्य राष्ट्र में आन्तरिक विद्रोहों को दबाना था।

पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की गयी जिसमें सशस्त्र असैनिक नागरिकों को भर्ती किया गया। जिनका कार्य ग्राम तथा नगरों में राजाज्ञा का पालन कराना था इसके साथ ही यह दल न्याय व आन्तरिक व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी था। फ्राँस में आज तक सशस्त्र पुलिस का वही नाम "जेंडार्मी" चला आ रहा है। इसी क्रम में शार्लमेन वह

Estelar

प्रथम ईसाई शासक था जिसने पुलिस संगठन का निर्माण किया था। इस प्रकार विश्व के प्राचीन स्वरूप में भी आन्तरिक सुरक्षा, न्याय व कानून व्यवस्था के लिए संगठनों की स्थापना अवश्य की गयी थी।

भारत में प्राचीन काल से ही लोकतंन्त्रात्मक जीवन शैली का संचार हुआ है। इस आधार पर ग्राम व नगरों की सुरक्षा, न्याय तथा व्यवस्था का भार मुखिया तथा उसके पंचायती सदस्यों के पास था। भारत में सम्पूर्ण ग्राम ही एक पुलिस व्यवस्था के अनुरूप कार्य करते थे। नगरों में इस कार्य के लिए स्वयंसेवकों को रखा गया था। मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था में आन्तरिक शान्ति तथा कानून व्यवस्था हेतु स्पष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। इस काल में नगरों की सुरक्षा के लिए पुलिस थी। इनके शासन काल में प्रादेशिक नामक अधिकारी पुलिस का प्रबन्धन का कार्य करता था। ***"पुलिस विभाग केन्द्रिय शासन में "महादण्डनायक" मंत्री के अधीन था। गुप्तचर पुलिस अलग थी। जनरक्षक तथा गुप्तचर पुलिस में वेतनभोगी रहते थे। चाणक्य (कौटिल्य) ने राजकीय महकमें को 'अधिकरण' नाम दिया है। पुरूष या पुलिस विभाग भी एक अधिकरण था।"***[16]

मौर्य साम्राज्य में आन्तरिक कानून व्यवस्था का सुदृढ़ स्वरूप निर्धारित किया गया था। भारत में मनु ने जानपद का वर्णन किया है। इन जानपदों में सुख व शान्ति का निर्माण ग्रामीण तथा नगरीय पुलिस द्वारा किया जाता था। इस समय असैनिक तथा अवैतनिक आधार पर पुलिस व्यवस्था थी। वैतनिक पुलिस का स्वरूप बाद में आया था। ***"वैतनिक पुलिस का असली संगठन मौर्य साम्राज्य में हुआ।"***[17]

सम्राट अशोक के काल में पुलिस संगठन को और अधिक ठोस बना दिया गया था उसने सम्पूर्ण सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर दिया था। प्रान्तों तथा नगरों को बहुत अधिकार प्रदान कर दिये थे। प्रान्तों व नगरों की सुरक्षा का कार्य पुलिस के हाथ में था। मौर्य साम्राज्य के उपरान्त गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ जिसमें केन्द्रिय शासन को सुदृढ़ किया गया तथा केन्द्रिय पुलिस का भी गठन किया गया था। गुप्त साम्राज्य में प्रान्तों को "भुक्ति" तथा मण्डलों को "विषय" कहा जाता था। कई ग्रामों को मिलाकर 'स्थली' अथवा 'परगना' बनाया जाता था। ग्राम का मुखिया ग्राम सेवक तथा वह पंचायत का प्रमुख होता था। ग्राम पंचायत के सदस्यों को 'महत्तर' कहा जाता था इस प्रकार ग्राम सेवक तथा महत्तरों का कार्य ग्राम सुरक्षा तथा अपराधों का नियन्त्रण भी करना होता था। उस समय ग्राम पंचायत ही ग्राम पुलिस का कार्य करती थी। नगरों में नगर समिति होती थी जिसका अध्यक्ष

Estelar

'प्रांगिक' तथा 'पुरपाल' होता था जिसे आज के पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट या जिलाधीश के बराबर के अधिकार प्राप्त थे।

मुगलकाल में बलवन द्वारा गुप्तचर विभाग पर अधिक बल दिया गया लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय वेतन भोगी पुलिस कर्मचारियों का वर्णन प्राप्त होता है। अपराध होने पर कठोर से कठोर दण्ड देने का प्रावधान था। मुहम्मद तुगलक ने पहली बार पुलिस चौकी निर्धारित करने का काम किया। इस समय हर नगर में पुलिस कोतवाल को भी नियुक्त किया गया था। इस समय कोतवाल के पास पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट या जिलाधीश के बराबर के अधिकार थे। शेरशॉह सूरी द्वारा सर्वोत्तम पुलिस संगठन का निर्माण किया। उसने पुलिस को पूर्ण जिम्मेदार बना दिया था। ***"चाहे खूनी हो या चोर, मुकद्दम की जिम्मेदारी थी पता लगाना। चोरी का पता न चले और माल बरामद नहीं तो मुकद्दम को ही धन देना पड़ता था। यदि हत्यारे का पता न लगा तो उसे ही फाँसी दे दी जाती थी।"***[18]

शासक शेरशॉह के काल में दण्ड बहुत कठोर थे। फलतः राज्य में पूर्ण सुख व शान्ति की स्थापना हो गयी थी लोग सोना उछालते चलते थे। सभी स्थानों पर चोरी, डकैती लापता हो गयी थी। इस शासक ने गुप्तचर सेवा के लिए पृथक से पुलिस दल का गठन किया था। मुगल शासक बाबर, हूमायूँ, अकबर आदि ने पुरानी भारतीय पद्वति में थोड़ा सा सुधार व परिवर्तन किया लेकिन पुलिस संगठन के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी। मराठा शासकों द्वारा अपनी शासन व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाने का कार्य किया इसमें शिवाजी द्वारा कुछ स्तर तक सुधार किया गया ताकि सभी के द्वारा पुलिस के संगठन के सन्दर्भ में प्राचीन पद्धति को ही बरकरार रखा तथा मुसलिम शासन प्रणाली की पुलिस व्यवस्था को ही अपनाने का प्रयास किया। मराठों ने शहर कोतवाल का ऊँचा पद भी समाप्त कर दिया। इन्होंने ग्राम सुरक्षा का प्रभार जमिदारों को प्रदान कर दिया था।

ब्रिटिश शासकों के द्वारा भारत के शासन व्यवस्था में अमूल–चूक परिवर्तन किये गये। उनके द्वारा परमपरागत् भारतीय सिद्वान्त को त्यागकर केन्द्रिय नियंत्रण पर आधारित पुलिस की व्यवस्था की गयी। भारत में ब्रिटिश शासन के तीन स्तम्भ थे नागरिक सेवा (सिविल सर्विस) सेना और पुलिस। जिसके मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य में कानून व व्यवस्था का बनाना तथा शासन को स्थायी करना था इस सबके अभाव में ईस्ट इण्डिया कम्पनी अपना कार्य या व्यापार नहीं कर सकती थी। ब्रिटिश शासन में पुलिस, सरकार का

Estelar

मूल आधार थी। कार्नवालिस ने जमींदारों को पुलिस कार्य से मुक्त कर स्वतन्त्र पुलिस की स्थापना कर दी। उसने थानों की स्थापना भी की तथा हर थाने का दरोगा प्रमुख होता था जो एक भारतीय होता था। इसमें पुलिस सुपरिटेंन्डेन्ट (अधीक्षक) भी होता था जो जिले का प्रधान पुलिस अधिकारी होता था। इस समय पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा नही चल रहा था। ***"जहाँ तक पुलिस का सवाल है, वह जनता का रक्षक होने की स्थिति से कोसों दूर रही।"*** [19]

पुलिस ने भारतीय जनता के साथ असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनाया। पुलिस का व्यवहार निरंकुशवादी आधार का होता था। 1857 के संग्राम में विदेशी शासकों की नींद हराम कर दी। राष्ट्रवादी आन्दोलनों एवम् विचारधाराओं ने विदेशी प्रभुत्व को एक चुनौती दे दी थी। जिसमें भारतीय समाज का हर वर्ग शामिल था। ब्रिटिश सरकार ने ग्रामीण पुलिस का पुनर्गठन किया। ग्रामीण पुलिस के द्वारा ब्रिटिश सरकार गाँवों तक अपना शिकंजा कसना चाहती थी जिसमें वे ग्रामीण पुलिस की सहायता से सफल हुए। इस पुलिस के द्वारा अधिसूचना का एकत्रीकरण भी पुलिस के द्वारा किया जाता था। इस सन्दर्भ लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ऑकलैन्ड काल्विन का मानना था कि ***"चूँकि पूरे प्रान्त में फैले अपराधी एक दूसरे के सम्पर्क में रहते हैं जबकि विभिन्न प्रान्तों की पुलिस सीधे सम्पर्क में नहीं रहती है। इसलिए देश भर की पुलिस की कार्य प्रणाली को प्रकाश में लाने के लिए एक केन्द्रिय ब्यूरो की स्थापना होना चाहिए और यह कार्य ठगी व डकैती के कार्यालय के माध्यम से सम्पन्न हो सकता है।"*** [20]

पुलिस को अंग्रेजी हुकुमत के लिए वफादार बनाने के लिए सरकार द्वारा सदाचरण भत्ता उदार इनाम देने की व्यवस्था की गयी और पुलिस की कार्यशैली को सुधारने पर भी बल दिया गया तथा माना गया कि पुलिस भ्रष्टाचार से लिप्त है तथा वह कार्य के आधार पर प्रशासन की सबसे पिछड़ी कड़ी है। राष्ट्रवादी आन्दोलनों के चलते अनेक जिलाधिकारियों का मानना था कि पुलिस की कार्यशैली में अत्यधिक गिरावट आयी है। विवेचना का कार्य भी गिर गया है। पुलिस के प्रति लोगों का नकारात्मक दृष्टिकोण भी था। भारतीय पुलिस सैनिकों के प्रति अंग्रेजी शासकों का भेदभाव पूर्ण रवैया भी था। वेतन तथा अन्य भत्ते भी उपयुक्त आधार के नहीं प्राप्त होते थे सरकार पुलिस पर कम खर्च करना चाहती थी ऐसा करने से पुलिस सेवा के प्रति जनता का दृष्टिकोण निरन्तर नकारात्मक होता चला गया।

Estelar

ब्रिटिश सरकार द्वारा पुलिस के कार्यों की समीक्षा की गयी तथा उसके कार्यशैली में भी सुधार किया गया। जिससे उनके प्रति जनता का विश्वास बढ़ा तथा परिणाम उत्तम प्राप्त हुए। जिससे डकैती तथा आपराधिक घटनाओं की संख्या में कमी आयी। इसका मुख्य कारण यह रहा कि गुप्तचर सेवाएँ गुणात्मक आधार पर उत्तम तथा जनता का पुलिस के प्रति विश्वास भी था। इसके उपरान्त पुनः राष्ट्रवादी आन्दोलनों से पुलिस का स्वरूप परिवर्तित हुआ जो पुलिस का मनोबल कम करता था। राष्ट्रवादी आन्दोलनों के साथ आपराधिक घटनाओं में वृद्धि से पुलिस कमजोर हो रही थी।

ब्रिटिश शासन के समय पुलिस व जनता के मध्य का सम्बन्ध अत्यधिक असन्तोषजनक था। पुलिस का पक्षपात पूर्ण रवैया, भ्रष्टाचार, क्रूरता और संज्ञेय अपराध को दर्ज करने की असफलता भी स्पष्ट हुई। वास्तविक रूप से पुलिस उन लोगों को तंग करती थी जो उसके सहायक थे। पुलिस की कार्यशैली पूर्ण रूप से संशययुक्त थी। पुलिस द्वारा अनावश्यक कठोरता को दर्शाया गया था। लोग यहाँ तक भयभीत थे कि कोई अपराध पुलिस को बताना तो दूर उनको पता भी नहीं चलना देना चाहते थे।

स्वराज के उपरान्त पुलिस संगठन का सम्पूर्ण दृष्टिकोण बदल गया। इसके उपरान्त पुलिस का कर्तव्य देश, प्रदेश, समाज तथा प्रत्येक नागरिक की रक्षा करना था तथा उसकी सेवा भी करना था। स्वतन्त्रता के बाद पुलिस कमीशनों का मूल उद्देश्य पुलिस को एक सूत्र में बाँधकर केन्द्रिय आधार पर अनुशासित करना था। केन्द्र का नियन्त्रण अप्रत्यक्ष तथा बहुत ही सीमित है। भारतीय संविधान की धारा 246 के सातवें उपसर्ग की संख्या–2 के अन्तर्गत सैनिक पुलिस है। इसी प्रकार सेन्ट्रल इंटेलिजेंस (गुप्तचर सूचना) तथा सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन्स का अपना विशेष कार्य है जो उपसर्ग के अर्न्तगत संगठित है। सी0बी0आई0 राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक भ्रष्टाचार तथा सरकारी कर्मचारियों की अनैतिकता आदि की विशेष जाँच करती है जो अपराध में भूमिका होने पर मुकदमा चलाती है। रेलवे के लिए रेलवे सुरक्षा पुलिस का गठन किया गया है जो रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा के साथ इस सम्बन्ध के अपराधों का निपटारा करती है। इसी प्रकार सी0आर0पी0एफ0, बी0एस0एफ0, सी0आई0एस0एफ0 (इन्ड्रस्ट्रियल सेक्यूरिटी), असम रायफल्स आदि भी केन्द्र पुलिस के भाग हैं। केन्द्र पुलिस की सेवा प्रदेश सरकार के अनुरोध पर प्रदेश को कुछ समय के लिए प्रदान की जाती है। प्रादेशिक पुलिस प्रदेश के गृह विभाग तथा केन्द्रिय पुलिस, केन्द्रिय गृह मंत्रालय से सम्बद्ध होती है। सभी प्रान्तों का

Estelar

पुलिस प्रशासन एक निश्चित संघटन के आधार पर ही कार्य करता है। जो मूल रूप से ब्रिटिश कालीन एक्ट 1861 के अनुरूप ही निर्धारित है।

भारतीय पुलिस का उच्चतम अधिकारी "इण्डियन पुलिस सर्विस" अर्थात् आई0पी0एस0 (केन्द्र द्वारा चुने व नियुक्त होते हैं) को प्रदेश में केन्द्र ही भेजता है तथा उनका प्रशिक्षण भी केन्द्र सरकार ही कराती है। भारत के संविधान की धारा 312 के अन्तर्गत ही भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई0ए0एस0) की रचना की गयी है। आज भी पुलिस का स्वतन्त्र कार्य क्षेत्र नहीं है अब भी जिलाधीश का पुलिस पर आंशिक हस्तक्षेप है।

पुलिस का मुख्य कार्य अपराध पर नियन्त्रण करना तथा अमन–अमान कायम रखना है। जिसके लिये जिले का वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पदेन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तरदायी होता है। जिलों में दो प्रकार की पुलिस सशस्त्र तथा सिविल पुलिस के रूप में रहती है। प्रदेश में प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी0) भी होती है। सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस के माँगने पर पी0ए0सी0 दी जाती है। जिला पुलिस के साथ एक अपराध शाखा भी होती है। अपराध शाखा अराजक तथा अपराधी प्रवृति के लोगों की खोज करती है। इसके अतिरिक्त प्रदेशों की अपनी विशेष इन्टेलिजेंस एजेन्सी भी होती है। जो विशेष जानकारी प्राप्त कर विशिष्ट अपराधों की सूचना देती है। हर जिले में आवश्यकता के अनुरूप यातायात (ट्रैफिक) पुलिस भी होती है। इसमें चुने अधिकारी, कांस्टेबल कद व योग्यता के अनुरूप रखे जाते हैं। अपराधी के पकड़े जाने पर न्यायालय में बाद चलाने हेतु पुलिस अधिकारी "प्रॉसीक्यूटर" होता है जो मुकदमें को चलाने तथा उसकी पैरवी करने एवं न्यायालय के कार्यों को भी देखता है। यह सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस के मातहत रहता है।

रेलवे पुलिस के भी दो अंग होते हैं एक अंग रेलवे में अपराध नियन्त्रण, अपराधी पकड़ने, मुकदमा चलने का कार्य करता है द्वितीय अंग स्टेशन की निगरानी के साथ प्लेटफार्म ड्यूटी, टिकट घर तथा मुसाफिरखाने की ड्यूटी देता है। यह अंग रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से पृथक होता है। यह रेलवे सुरक्षा दल के रूप में अलग होता है। रेलवे पुलिस पर व्यय का एक चौथाई ही रेलवे ही देता है तथा उच्च अधिकारियों का कोई व्यय नहीं देता है। आर0पी0एफ0 का प्रशिक्षण का समुचित प्रबन्ध होता है। उसे रेल मंत्रालय पाठयक्रम प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स, ओरियेटेंशन कोर्स, प्रमोशन कोर्स तथा फाउन्डेशन कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा पुलिस का गुप्त वार्ता (इन्टेलिजेंस) विभाग होता है। इसके पास व्यावहारिक विज्ञानशाला, उँगली के निशान का विभाग, जासूसी कुत्ता दल,

Estelar

अनुसंधान विभाग इत्यादि होते हैं। गुप्तचर विभाग के जिम्मे मंत्रियों, राज्यपाल तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा होती है। इस विभाग के पास विषयों के विशेषज्ञ भी होते हैं। इनके पास कोष भी उपलब्ध रहता है।

पुलिस के कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ उसके पास अनेकों चुनौतियां भी आ गयी है इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस को हर प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता भी होती है। पुलिस को वर्तमान चुनौतियों के आधार पर कार्य करने के लिए समाज का सेवक बनना आवश्यक होता है। प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिस अधिकारियों का नवाचारों का ज्ञान प्रदान कराना होता है जिससे वे हर परिस्थिति का सामना कर सकें। पुलिस को अपने समाज के लक्ष्यों का भी ज्ञान होना चाहिए तथा सामाजिक न्याय के सिद्वान्तों का भी पालन करना होता है। यह सब प्रशिक्षणों के माध्यमों से ही सफल हो सकता है अन्यथा इसका सफल होना सम्भव नहीं है इसलिए पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की भूमिका बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त आज पुलिस संगठन में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ गयी है इसलिए महिला पुलिस का गठन भी किया गया। स्त्रियों द्वारा किये अपराध तथा स्त्रियों पर होने वाली घटनाओं के लिए इनकी आवश्यकता अत्यधिक होती है।

2.1.4 उत्तराखण्ड पुलिस का स्वरूप :–

उत्तराखण्ड पुलिस का स्वरूप प्राचीन काल से जानने के लिए हमें साहित्यिक अभिलेखों के साथ पुरातात्विक साधनों की आवश्यकता भी होती है। उत्तराखण्ड के विषय में धार्मिक ग्रन्थों के अर्न्तगत हिन्दू, बौद्ध तथा जैन इत्यादि धर्म ग्रन्थों के साथ अधार्मिक ग्रन्थों में भी तथ्य उपलब्ध है। उत्तराखण्ड के इतिहास का वर्णन पुरातात्विक साधनों जैसे– प्रागैतिहासिक अवशेष, अभिलेख, मुद्राएँ तथा प्राचीन मन्दिरों व मूतियाँ आदि में है। उत्तराखण्ड के इतिहास को जानने के उपरान्त अवगत होता है कि यहाँ की सबसे प्राचीनतम् राजवंश कुणिन्द राजवंश था। इस राजवंश का क्षेत्र कुणिन्द जनपद के रूप में जाना जाता था। इनके विषय में जानकारी भारतीय धर्म ग्रन्थों, विदेशी विवरणों तथा परिवर्ती कुणिन्दों के अभिलेखों व मुद्राओं से प्राप्त होती है।

कुणिन्द राजवंश के उपरान्त उत्तराखण्ड में पौरव वंश का राज रहा जो लगभग 647 ई0 से लेकर 725 ई0 तक रहा। पौरव काल की शासन पद्वति गुप्त काल तथा हर्ष के शासन काल के समान थी। इनके शासन काल में राजा ही राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था जिसकी उपाधि परम् भट्टारक महाराजाधिराज की थी। पौरव वंश के राजा मूलतः

Estelar

प्रजाहितैषी होते थे। राजा इस वंश में निरंकुश नहीं था उस पर मंत्रीमण्डल का नियन्त्रण रहता था पौरव वंश में मन्त्रिपरिषद् के साथ सैन्य संगठन भी समाहित था। इस वंशज के समय आन्तरिक शान्ति व सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग था। इस काल में दण्डवासिक या दण्डपासिक नामक उच्च पुलिस अधिकारी भी थे। इस समय उच्चकोटि की प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गयी थी।

उत्तराखण्ड के प्राचीन इतिहास में कत्यूरी वंश की महत्वपूर्ण भूमिका है यह राजवंश लगभग 400 वर्षों तक शासन करता रहा। इस राजवंश के शासन का स्वरूप केन्द्रिय तथा प्रान्तीय दोनों आधारों का था। कत्यूरी राजवंश में राजा, राज्य का सर्वोच्च कर्ताधर्ता होता था। उसे परम् माहेश्वर या परम ब्राह्मण की उपाधि भी दी जाती थी। लगभग सभी कत्यूरी राजा योग्य व श्रेष्ठ थे। इस काल में भी आन्तरिक शान्ति व सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग था। इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी महादण्डनायक तथा दण्डपासिक था। इसके अतिरिक्त दाण्डिक, चाट व भाट इत्यादि छोटे कर्मचारी थे। अपराधी को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी दोषापराधिक कहलाता था। गुप्तचर विभाग भी व्यवस्थित आधार का था। इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दुःसाध्यसाधनिक था। इस वंशज के समय चोरोद्धरणिक भी एक अधिकारी था इस प्रकार प्रशासन की व्यवस्था उत्तम आधार की थी।

कत्यूरी वंशजों का प्रान्तीय प्रशासन भी उत्तम था। उपरिक, प्रान्त का प्रमुख अधिकारी के रूप में नियुक्त था। इसके अतिरिक्त प्रान्त में आयुक्त होते थे जो भिन्न–भिन्न स्तर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते थे। यहाँ पर प्रान्त को अनेक विषयों में भी विभक्त किया गया था। इस समय राज्य की सबसे छोटी इकाई के रूप में ग्राम था जहाँ राज्य की ओर से महामनुष्य तथा मुकद्दम नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गयी थी।

उत्तराखण्ड के प्राचीन इतिहास में चंद वंश की भी महत्वपूर्ण भूमिका है यह वंश 1080 ई0 से लगभग 1790 ई0 तक शासन करता रहा। चंद वंश द्वारा सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था का निर्माण किया गया था। इस समय भी राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी या अधिकारी राजा ही होता था। इस समय राज्य में अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की गयी थी। चंद राजा अपनी प्रजा के प्रत्येक भाग के नेताओं से सम्पर्क कर राज्य संचालन का कार्य करते थे। सम्पूर्ण कुमाऊँ की प्रजा महरा तथा फर्त्याल वर्गो में विभाजित थी। जिस दल की प्रजा का प्रभाव अच्छा था उसके अधिकारी नियुक्त होते थे। इस प्रकार चंद शासन प्रजा द्वारा चलाया गया शासन था। गाँव का प्रशासन प्रधान के अधीन होता था जो गाँव में

Estelar

भूराजस्व वसूली के साथ ग्रामीण पुलिस का काम भी करता था गाँव में उनकी सहायता के लिए कोटाल तथा पहरी भी होते थे। चंदों के पास उत्तम सैन्य संगठन भी था।

गढ़वाल में पवार वंश का शासन था। इस वंशज के समय भी राजा ही राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था वह सम्पूर्ण सम्पदाओं का स्वामी भी होता था। राजा द्वारा राजकार्य में सहयोग के लिये अनेक कर्मचारी व अधिकारियों की नियुक्ति की गयी थी। इस राजवंश के पास सुदृढ़ सैन्य संगठन भी था जिसमें पैदल व घुड़सवार सैनिक भी थे। इस समय न्याय व्यवस्था पंचायती आधार की थी। इस समय फौजदार परगनों का मुख्य सैनिक अधिकारी था। गोलदार राज्य का प्रमुख सुरक्षाधिकारी के रूप में कार्य करता था। वह आन्तरिक शान्ति व्यवस्था, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था के लिये उत्तरदायी होता था। गोरखा सेना ने 1790 ई0 में कुमाऊँ तथा 1804 ई0 में गढ़वाल राज्य पर विजय प्राप्त कर अपना अधिकार कर लिया। गोरखा शासन पूर्ण रूप से सैनिक शक्ति पर आधारित था। इनके काल में पुलिस की पृथक से व्यवस्था नहीं की गयी थी इनके द्वारा केवल सैनिकों को ही आन्तरिक सुरक्षा का दायित्व दिया गया था। इनका शासन काल जुल्म व ज्यादतियों के लिए प्रसिद्ध है जिसे आज भी गोरख्याणी के नाम से जाना जाता है।

गोरखा राज के समापन के उपरान्त कुमाऊँ में 1815 ई0 में अंग्रेजों की हुकुमत प्रारम्भ हो गयी। 3 मई 1815 के बाद टिहरी गढ़वाल को छोड़कर सम्पूर्ण कुमाऊँ व गढ़वाल में ब्रिटिश शासन प्रारम्भ हो गया। इस समय ई0 गार्डनर को कुमाऊँ का शासक नियुक्त किया गया। छह माह उपरान्त उसके सहायक ट्रेल को कमिश्नर नियुक्त किया गया। इस समय सम्पूर्ण कुमाऊँ में राजस्व पुलिस की स्थापना की गयी कुमाऊँ में आन्दोलनों तथा अशांति का वातावरण नहीं होने के कारण नियमित पुलिस की आवश्यकता को नहीं महसूस किया गया। उस समय कुमाऊँ के शासक मेजर जेनरल हेनरी रामजे थे जिनके द्वारा कहा गया था कि हमारी ग्रामीण पुलिस का तरीका भारत के लिए सर्वोत्तम तरिका है। इसमें कुमाऊँ के सन्दर्भ में कोई भी फेरबदल करना न्यायोचित नही होगा। यह ग्राम पुलिस कम खर्चिली तथा सरकार का कोई भी आर्थिक नुकसान इस पुलिस के माध्यम से नहीं हो रहा है।

उत्तराखण्ड में आपराधिक गतिविधियाँ न्यून होने के कारण सभी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा माना गया कि पटवारी एक साथ पुलिस व राजस्व की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं जो ब्रिटिश सरकार के हित में है। धीरे–धीरे नियमों व कानूनों में परिवर्तन किया गया तथा

Estelar

राजस्व पुलिस को और अधिक अधिकार प्रदान किये गये। राजस्व पुलिस के पेशकार को पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष शक्तियाँ प्रदान की गयी। इस समय पटवारी को मासिक वेतन पाँच रूपया दिया जाता था जो अंग्रेजी सरकार के लिए नहीं के बराबर का खर्चा था। ग्रामीण स्तर पर पटवारी, कानूनगो (पेशकार), थोकदार और प्रधान के रूप में ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जो अंग्रेजी राज के लिए नींव का पत्थर साबित हुई।

इस समय प्रधान व थोकदार सत्ता द्वारा पोषित मुखवीर के रूप में कार्य करते थे। स्वतन्त्रता संग्राम आन्दोलन में अंग्रेजी शासन के लिए प्रधान व थोकदार ने सकारात्मक अहम भूमिका निभायी। आन्दोलनों के उपरान्त इनको सम्मानित भी किया। इस प्रकार यह संरचना मजबूत प्रशासनिक आधार पर विकसित हुई। 1937 में कांग्रेस सरकार द्वारा भी पर्वतीय जिलों में राजस्व पुलिस व्यवस्था को ही बनाये रखने पर बल दिया तथा अपनी रिपोर्ट में कहा कि पर्वतीय जिलों के लिए यह उपयुक्त पुलिस व्यवस्था है। इसके साथ ही अल्मोड़ा के जिलाधीश ने अपनी रिपोर्ट में तर्क दिया कि राजस्व पुलिस को बदलना कोई सही तर्क नहीं है। राजस्व पुलिस की योग्यताओं, प्रशिक्षण, वेतन तथा नियमों में सुधार के लिए क्या आवश्यक है इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार का तर्क गढ़वाल के जिलाधीश द्वारा भी दिया गया। यह क्रम सन् 1947 जब तक भारत आजाद नही हुआ चलता रहा।

स्वतन्त्रता के पश्चात् प्रशासनिक ढाँचे में परिवर्तन आया परन्तु उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों (उत्तराखण्ड) में राजस्व पुलिस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आये हालांकि उस समय नियमित पुलिस का भी गठन किया गया था। 1966 के जमींदार उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ जहाँ थोकदार, प्रधान व मालगुजारों के पद समाप्त कर दिये गये। परन्तु पटवारियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि कर दी गयी। इस समय जिलाधिकारी फौजदारी प्रशासन का प्रमुख तो था ही उसे राजस्व फौजदारी प्रशासन में भी जिले का प्रमुख माना जाता था। 1960 में उ0प्र0 में एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें माना गया कि जिलाधिकारी को आपराधिक प्रशासन के अध्यक्ष और शान्ति एवम् व्यवस्था के लिए अन्तिम रूप से उत्तरदायी बना रहना चाहिए। किन्तु पुलिस के विशुद्ध आन्तरिक प्रशासन में उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जिलाधिकारी, परगना मजिस्ट्रेट (उपजिलाधिकारी), तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा पटवारी क्रमबद्ध आधार पर अपने अधिकारी के लिए जवाबदेय होंगे।

Estelar

1861 के एक्ट के अनुसार राज्य में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस होगा। वह सीधे प्रदेश सरकार के मातहत होगा उसके नीचे आवश्यकता के अनुसार डिप्टी इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस (डी0आई0जी0) होंगे। जिला स्तर पर सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस होगा जो जिले की शान्ति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगा। जिसके नीचे शहर तथा देहात के सुपरिंटेन्डेन्ट हो सकते हैं। जिले स्तर पर सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस जिलाधीश के नियन्त्रण में कार्य करेंगे। वह इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस के अधीन भी रहेगा तथा उसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी भी होगा। 1974 के उपरान्त पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पद डायरेक्टर जेनरल (डी0जी0) बना दिया गया।

1983 ई0 में उत्तर प्रदेश में 14 इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस जो भिन्न–भिन्न विभागों के लिए जिम्मेदार थे तथा अन्ततोगत्वा वे 'डायरेक्टर जेनरल' के अधीन थे। डायरेक्टर जेनरल के पास अपार शक्तियाँ होती हैं परन्तु उसे भी अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करना पड़ता है। डायरेक्टर जेनरल मुख्यमंत्री, गृहमंत्री तथा गृह सचिव के सम्पर्क में रहता है। सन् 1983 में उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर जनरल के नीचे चौदह इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस कार्य करते थे। जिनको उत्तर प्रदेश के चार मण्डलों तथा अन्य विभागों का प्रधान बनाया गया था जैसे– पी0ए0सी0, इन्टेलीजेंस, रेलवे, ट्रेनिंग, सी0आई0डी0, स्पेशल जॉच, प्रधान कमांडेन्ट, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, विजिलेंस तथा आई0जी0 पुलिस हेडक्वॉटर आदि।

इस प्रकार सन् 2000 में उत्तराखण्ड पृथक राज्य के रूप में बना यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के समान पुलिस व्यवस्था का निर्धारण हुआ। उत्तराखण्ड में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी डायरेक्टर जेनरल (डी0जी0) है जिसके अर्न्तगत ए0डी0जी0 कार्मिक कार्य करते हैं तथा इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के समान उत्तराखण्ड में भी विभिन्न पुलिस विभाग जैसे पी0ए0सी0, इंटेलीजेन्स, ट्रेनिंग, सी0आई0डी0, स्पेशल जाँच, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, विजिलेन्स आदि के पृथक इस्पेंक्टर जेनरल पुलिस की नियुक्ति की गयी है। सम्पूर्ण प्रान्त को दो मण्डलों में बाँटा गया है। जिसमें पुलिस प्रमुख के रूप में सहायक डिप्टी इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस (डी0आई0जी0) होता है। उत्तराखण्ड में तेरह जिलों के प्रमुख पुलिस अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस0एस0पी0) नियुक्त किये गये हैं जो जिले के कानून व व्यवस्था के लिए पूर्ण उत्तरदायी होता है। जो अपने जिले को विभिन्न क्षेत्रों में बाँटता है तथा जिसका जिला भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में बटा होता है। जिसकी जिम्मेदारी क्षेत्राधिकारी (सी0ओ0) के पास होती है। बड़े शहरों या तहसीलों में अपर पुलिस

Estelar

अधीक्षक (ए0एस0पी0) सीटी भी नियुक्त होते हैं। उत्तराखण्ड के देहरादून जनपद में पुलिस अधीक्षक (देहात) तथा पुलिस अधीक्षक (नगर) भी नियुक्त किये गये हैं। जिले के समस्त अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के लिए उत्तरदायी होते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डिप्टी इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस तथा डायरेक्टर जेनरल दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। जिले के सभी थाने का प्रमुख थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर या सहायक सब–इंस्पेक्टर स्तर या पद के होते हैं। चौकी प्रभारी थानाध्यक्ष तथा उसके ऊपर के अधिकारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं।

उत्तराखण्ड में भी पुलिस सेवा में पूर्ण विस्तार किया गया है। वैज्ञानिक पद्वति के आधार पर विवेचना करने के लिए व्यावहारिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है। जिसमें डायरेक्टर, सहायक डायरेक्टर तथा संयुक्त डायरेक्टर एवं विभिन्न वैज्ञानिकों को नियुक्त किया जाता है। राज्य में पुलिस मोटर ट्रासपोर्ट विभाग का गठन भी किया गया है जिसमें राज्य पुलिस मोटर सवारी अफसर तथा पुलिस मोटर सवारी अफसर होते हैं। राज्य में पुलिस रेडियो विभाग जिसका प्रमुख डायरेक्टर रेडियो संचार, स्टेट रेडियो अफसर, अतिरिक्त स्टेट रेडियो अफसर, सहायक रेडियो अफसर तथा तकनीशियन आदि होते हैं। राज्य में अग्नि शमन दस्ता होता है जिसका पृथक डायरेक्टर, संयुक्त डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर (तकनीकी), कमान्डेन्ट फायर सर्विस ट्रेनिंग सेंटर, चीफ फायर अफसर आदि होते हैं। पुलिस प्रशिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक भी नियुक्त किये गये हैं। मुकदमा दर्ज होने के उपरान्त उसको सही प्रकार से न्यायालय में चलाने हेतु प्रॉसीक्यूटर की नियुक्ति भी की जाती है।

उत्तराखण्ड में वर्तमान पुलिस के कार्य को निष्पक्ष रूप से संचालित कराने हेतु सन् 2006 में भारत के एटॉर्नी जनरल पद पर कार्यरत सौली सोराब्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें कहा गया कि पुलिस की कार्यवाही का पारदर्शी नहीं होने मुकदमों की सही विवेचना नहीं करने एवं पक्षपातपूर्ण कार्य करने आदि पर पुलिस शिकायत हेतु पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन हो जिसमें उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को प्रमुख बनाया जाय। जिससे की पुलिस सही कार्य कर सके। इस आधार पर आज उस प्राधिकरण का गठन उत्तराखण्ड में भी किया गया है।

Estelar

2.1.5 उत्तराखण्ड में पुलिस की रूपरेखा :–

उत्तराखण्ड के इतिहास में सबसे प्राचीन राजवंश कुणिन्द का रहा। कुणिन्द शासन के विषय में स्पष्ट रूपरेखा नहीं प्राप्त हुई है परन्तु साक्ष्यों कुणिन्दों के शासन काल की भी उत्तमता सिद्ध होती है। प्राचीन भारत में कुणिन्द के उपरान्त पौरव वंश का उत्तराखण्ड पर अधिपत्य रहा। पौरव वंश का शासन काल 647 ई0 से 725 ई0 तक रहा। पौरव वंश के अभिलेख उनके शासन पद्वति से सम्बन्धित अनेक तथ्य उपलब्ध कराते हैं। इस काल में राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इस काल में वाह्य सुरक्षा के साथ आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति पर भी सक्रिय व्यवस्था की गयी थी जिसके लिए पुलिस विभाग को संगठित किया गया था। इस शासन काल में दण्डवासिक या दण्डपासिक नामक उच्च पुलिस अधिकारी होते थे। इस समय दण्डोपरिक और कटुक आदि नाम भी प्राप्त होते हैं। सम्भवतः ये अधिकारी शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए होते थे। इस प्रकार पौरव वंशजों द्वारा सुदृढ़ आन्तरिक व्यवस्था का निर्धारण किया गया था।

प्राचीन भारत में उत्तराखण्ड का स्वर्णकाल कत्यूरी वंशजों के शासन काल को माना जाता है। इस वंश की शासन प्रणाली के साक्ष्य ताम्र अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। इस समय राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस समय भी राज्य में आन्तरिक शान्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस विभाग का गठन किया गया था। इस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में महादण्डनायक तथा दण्डपासिक थे। जो राज्य के हर स्थान पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होते थे। इनकी सहायता के लिए प्रान्त में दाण्डिक, चाट व भाट आदि छोटे कर्मचारी भी होते थे। इस वंशज के शासकों द्वारा अपराधियों को पकड़वाने के लिए भी उत्तम शासन व्यवस्था का निर्धारण किया था जिसके लिए दोषापराधिक नामक अधिकारी की नियुक्ति की गयी थी। इस समय श्रेष्ठ गुप्तचर विभाग का गठन किया गया था जो राज्य की सम्पूर्ण सूचनाओं को एकत्र कर राजा तक पहुँचाता था। इस विभाग का सर्वोच्चधिकारी दुःसाध्यसाधनिक होता था। कत्यूरी वंश के शासकों द्वारा चोर डाकुओं को पकड़ने के लिए भी उत्तम प्रशासनिक व कानून व्यवस्था की थी इनके अधिकारी को चोरोद्वरणिक कहा जाता था। कत्यूरी राजाओं द्वारा अपने राज्य की आन्तरिक सुरक्षा का पूर्ण बन्दोबस्त किया गया था। इन वंशजों के समय मुशाफिर स्वतन्त्रता पूर्व आवागमन करने में सफल होते थे।

Estelar

उत्तराखण्ड में कत्यूरी शासकों के पराभव के उपरान्त एक वंश की स्थापना हुई जिसे चंद वंश कहा जाता है। चंद वंश में राजा ही राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था उसने अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक उच्च पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की थी जिसमें आन्तरिक शान्ति व्यवस्था तथा वाह्य सुरक्षा हेतु दीवान, सेनापति, फौजदार आदि पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। इस वंशज के राजाओं द्वारा राजकार्य में प्रजा की सहायता प्राप्त की जाती थी। इसमें प्रजा को विभिन्न वर्गो में बाँटा गया था। जिसमें सात वर्ग थे जो चार बुढा, पाँच थोक, चार चौधानी, छः धरिया, बारह अधिकारी, पँच बिडिया तथा खतीमन ब्राह्मण एवम पौरी पन्द्रह विश्वा के रूप में जाने जाते थे। चंद काल में गाँव का प्रशासन प्रधान के अधीन होता था। अतः जो गाँव में भूराजस्व एकत्र करने के साथ–साथ पुलिस का कार्य भी करता था। गाँव में प्रशासन व आन्तरिक सुरक्षा व शान्ति बनाये रखने के लिए कोटाल तथा पहरी भी होते थे। कोटाल लेखन का कार्य करता था तथा पहरी गाँव का चौकीदार होता था। इस प्रकार चंद लोगों की शासन व्यवस्था उत्तम आधार की थी। शासन कार्य में प्रजा का अत्यधिक सहयोग प्राप्त होता था। इस समय शासन व्यवस्था का कार्य महरा तथा फर्त्याल वर्ग के लोग करते थे।

गढ़वाल में उस समय पंवार वंश का शासन था। इनके शासन व्यवस्था में भी राजा को श्रेष्ठ व उच्च माना जाता था। राजा की सहायता के लिए वजीर, दीवान, फौजदार व गोलदार आदि प्रमुख अधिकारी थे। इस काल में दीवान, वजीर या मुख्तार ही राज्य के कर्ताधर्ता होते थे। फौजदार ही समस्त परगनों का सैन्य अधिकारी होता था। आन्तरिक शान्ति व सुरक्षा का कार्य गोलदार के हाथों में होता था यानि इस समय पुलिस संगठन का प्रमुख अधिकारी गोलदार ही होता था जो राजमहल, राजकोष अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की पूर्ण सुरक्षा रखता था। इस समय सेना में पैदल व घुड़सवार ही अधिक थे। राज्य में पंचायत का निर्णय सर्वमान्य होता था। गम्भीर मामले फौजदारों तथा गोलदारों के पास पहुँचते थे।

गोरखा शासन प्रणाली व जन्म उत्तराखण्ड में 1790 व 1804 ई0 में हुआ यह शासन प्रणाली पूर्ण रूप से सैन्य आधारित शासन प्रणाली पर आधारित थी। यह शासन प्रणाली निरंकुशता पर आधारित शासन प्रणाली मानी जाती है। इसमें विजित प्रदेशों के प्रमुखों को सुब्बा, नायब सुब्बा तथा सेनापति कहते थे। इनके सभी शासकीय उच्चाधिकारी सैनिक होते

Estelar

थे। इनकी न्याय व्यवस्था एक दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था मानी जाती है। इनके कठोर शासन प्रणाली को आज भी गोरख्याणी के नाम से जाना जाता है। गोरखा सैन्य अधिकारी अत्याचारी थे इनकी न्याय प्रणाली सरल होने के उपरान्त भी अन्यायपूर्ण थी जहाँ तर्क व साक्ष्य का कोई आधार नहीं था। ब्रिटिश शासन से पूर्व इनका पराभव हो गया।

ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1815 में कुमाऊँ तथा टिहरी गढ़वाल छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में हुई। इस शासन प्रणाली के समय में उत्तराखण्ड के कुमाऊँ तथा गढ़वाल क्षेत्र में राजस्व पुलिस की स्थापना हुई जो राजस्व की वसूली के साथ पुलिस व्यवस्था का संचालन भी करती थी। इसके अर्न्तगत गाँव में राजस्व पुलिस का अधिकारी पटवारी होता था। जिसके पास समस्त अधिकारी सुरक्षित थे। वह किसी भी व्यक्ति को बन्दी बना सकता था। पटवारी गाँव में किसी भी विवाद का निस्तारण अपने स्तर से कर सकता था इस प्रकार पटवारी राजस्व तथा पुलिस दोनों ही उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता था। उस समय बागेश्वर में कुली बेगार आन्दोलन उग्र हुआ उसके उपरान्त भी कुमाऊँ तथा गढ़वाल में राजस्व पुलिस को नहीं परिवर्तित किया गया। आज भी ग्रामीण स्तर पर यही पुलिस कार्य करती है। समय के अनुसार राजस्व पुलिस के अधिकारों में वृद्धि होती गयी तथा राजस्व पुलिस और अधिक सुदृढ़ होती गयी। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी द्वारा अपनी तथ्य आधारित रिपोर्ट में बताया कि राजस्व पुलिस व्यवस्था को नहीं बदला जाय अपितु राजस्व पुलिस के स्वरूप में ढाँचागत परिवर्तन किया जाय। राजस्व पुलिस के स्वरूप में परिवर्तन हेतु उसकी योग्यताओं, प्रशिक्षण, वेतन तथा अन्य नियमों में सुधार किया गया। गढ़वाल के जिलाधिकारी द्वारा अपने साक्ष्य में कहा गया कि राजस्व पुलिस व्यवस्था ही उत्तम है। जहाँ अपराध नहीं वहाँ रैगुलर पुलिस तैनाद करना बेवकूफी के समान ही होगी। इसी क्रम में अतिरिक्त जिलाधिकारी नैनीताल ने भी राजस्व पुलिस व्यवस्था को उत्तम बताते हुए अनुकरणीय भी बताया।

स्वतन्त्रता के पश्चात उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व पुलिस व्यवस्था ही संचालित होती रही जिसका प्रमुख जिले में जिलाधिकारी उसके नीचे उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पेशकार, कानूनगो तथा अन्त में पटवारी होता है। परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात, उत्तराखण्ड में भी उत्तर प्रदेश की भाँति स्थायी पुलिस व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया। स्वतन्त्रता के उपरान्त उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल से पृथक कर दो नये जिले चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल बनाये गये तथा रूद्रप्रयाग जनपद चमोली को पृथक कर

Estelar

बनाया गया। इस प्रकार गढ़वाल मण्डल में हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली तथा रूद्रप्रयाग कुल सात जिले हैं। इसी प्रकार पूर्व में कुमाऊँ में अल्मोड़ा तथा नैनीताल जनपद थे पिथौरागढ़ जो अल्मोड़ा जिले की तहसील थी जो 1990 ई0 में पृथक जिला बनाया गया। 1999 में पिथौरागढ़ से चम्पावत, अल्मोड़ा से बागेश्वर तथा नैनीताल से उधमसिंह नगर जनपद अलग बनाये गये। स्वतन्त्रता के बाद उत्तराखण्ड में दो मण्डलों की पृथक पुलिस व्यवस्था थी, उत्तर प्रदेश के क्रम में ही उत्तराखण्ड की पुलिस व्यवस्था का निर्धारण हुआ।

सन् 2000 में उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश से पृथक होकर नवगठित राज्य बना जिसमें पुलिस का प्रधान अधिकारी डायरेक्टर जेनरल (डी0जी0) अथवा पुलिस महानिदेशक है। पुलिस को राज्य सरकार की अधिसूचना के आधार पर एक से अधिक रेंजों में विभाजित किया गया। पुलिस रेंज में कार्मिक विभाग का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी पुलिस सहायक महानिदेशक (ए0डी0जी0) कार्मिक नियुक्त किया गया। जो पुलिस महानिदेशक के मातहत होता है। मण्डलों में अपराध नियन्त्रण तथा कानून व्यवस्था हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक (डी0आई0जी0) की नियुक्ति की गयी। जिले का प्रशासन जिलाधिकारी के सामान्य समन्वयन तथा सामान्य निर्देशन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक में निहित होता है। विशेष श्रेणी के अपराध पर कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ का भी गठन किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड के जिलों में चौकियों सहित तथा उनके बिना भी थानों का सृजन किया जायेगा तथा थानाध्यक्ष पुलिस उपनिरीक्षक के नीचे के पद का व्यक्ति नहीं होगा। इसमें यह भी रखा गया कि पुलिस अधीक्षक के अधीन जिले में एक या एक से अधिक रेलवे पुलिस दलों का भी सृजन किया जायेगा। वह उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के अधीन वृत्तों का गठन करेगा जिसमें प्रत्येक वृत्त में अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक स्तर से कम का नहीं होगा। राज्य में पुलिस के अर्न्तगत अभिसूचना के संकलन, समाकलन, विश्लेषण तथा प्रसार हेतु राज्य अभिसूचना विभाग का गठन किया गया। राज्य में विनिर्दिष्ट अपराधों के अन्वेषण हेतु राज्य अपराध अन्वेषण विभाग का गठन किया गया। राज्य में राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन (पी0ए0सी0) का भी गठन किया गया इसका काम शान्ति भंग होने की अवस्था तथा आपदा प्रबन्धन कार्यो में भाग लेना था।

Estelar

उत्तराखण्ड में पुलिस को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं का गठन किया गया। पुलिस के कार्यो में नवीनता का समावेश तथा और सक्रिय बनाने हेतु पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो का गठन किया गया। राज्य में पुलिस व्यवस्था को दक्ष, प्रभावी, उत्तरदायी तथा जवाबदेह बनाने हेतु राज्य पुलिस बोर्ड या अधिष्ठान समिति का भी गठन किया गया। सामान्य जनता को यातायात सुविधा सुरक्षित आधार पर प्रदान करने हेतु यातायात पुलिस का गठन भी किया गया। पुलिस को जनता का रक्षक माना जाता है और उसका कर्तव्य भी कानून व व्यवस्था बनाकर जनता को सुखमय जीवन प्रदान करना है। पुलिस कार्मिकों द्वारा गलत आचरण व कार्य करने पर उनके विरूद्ध शिकायतें की जाती है। जिनका निस्तारण राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की गठित कमेटी करती है। जिसमें एक अध्यक्ष व चार अधिकतम सदस्य होते हैं। इनमें अनुभवी, प्रख्यात तथा सत्यनिष्ठा और मानव अधिकारों के प्रति वचनबद्ध विश्वसनीय या चार–पाँच सदस्यों की नियुक्त किया जाता है इसमें एक सदस्य सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जो पुलिस महानिरीक्षक के कम का नहीं है होता है। इसमें एक महिला सदस्य भी होती है। एक सदस्य विधि क्षेत्र का भी होता है। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष भूतपूर्व या सेवानिवृत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। इस प्रकार पुलिस द्वारा सामाजिक आधार पर उत्तम मानदण्डों के आधार पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए अन्यथा उसके खिलाफ शिकायत कर प्राधिकरण द्वारा तत्काल जाँच करके सत्यता पाये जाने पर कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित हो सकती है। इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य में पुलिस के दायित्व, कर्तव्य तथा भूमिकाएँ बहुत वृहत है तथा समाज को उनकी अत्यधिक आवश्यकता है जिससे उत्तराखण्ड राज्य में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ बनी रहे।

Estelar

2.2 उत्तराखण्ड में पुलिस की प्रस्तावित ऐतिहासिक परिकल्पनाः–

2.2.1 प्राचीन कालीन पुलिस का स्वरूप :–

उत्तराँचल की ऐतिहासिक परम्पराएँ अत्यधिक वैभवशाली रही हैं। माना जाता है कि आज से पाँच–छह हजार वर्ष पूर्व आर्य लोग भारत में आये थे वे सिन्धु किनारे बसे थे। इसके उपरान्त ऋग्वैदिक काल में भी उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक स्थिति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन भारत में मौर्य वंश के पतन के उपरान्त उत्तराखण्ड में अमोघभूति द्वारा कुणिन्द वंश का शासन स्थापित किया। प्राप्त साक्ष्यों से यह माना गया है कि कुणिन्द,

कनिष्क के शासन के समकक्ष रहे। अमोघभूति प्रकार मुद्राओं से अवगत होता है कि कुणिन्द व्यापार प्रधान जन थे। ***"सुदूर सिरकप (तक्षशिला) से मृग एवम् देवी के रूप युक्त एक कुणिन्द ताम्र–मुद्रा प्राप्त हुई है जिसका उल्लेख मार्शल ने किया है।"***[21]

कुणिन्द राज्य एक गणतन्त्र राज्य रहा है। कुणिन्दों में अमोघभूति अन्य की अपेक्षा शक्तिशाली राजा के रूप में रहा। कुणिन्द साम्राज्य की शासन व्यवस्था उत्तम आधार की रही है। इसके विषय में प्रत्यक्ष व सारगर्भित तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। कुणिन्द वंश के उपरान्त उत्तराखण्ड में पौरव वंश का शासन रहा। पौरव राजवंश 647 ई0 से 725 ई0 तक रहा। कुणिन्द शासन उत्तराखण्ड में 5–6 ई0 पूर्व से 2–3 ई0 तक रहा। पौरव वंश की शासन व्यवस्था का प्रमाण तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से प्राप्त हुआ है। पौरव वंश का राज्य ब्रह्मपुर जनपद में था। बह्मपुर जनपद में कुमाऊँ गढ़वाल के साथ भावर का मैदान भी सम्मिलित था। ***"ब्रह्मपुर जनपद की उत्तरी सीमा पर महा–हिमालय में 'सुवर्णगोत्र' देश था। यात्री ने ब्रह्मपुर शासक का नाम नहीं दिया। परन्तु तालेश्वर–ताम्रशासनों से ब्रह्मपुर के राजाओं पर प्रकाश पडता है।"***[22]

पौरव वंश का शासन काल गुप्त तथा हर्ष के समानता का ही था। इस समय सैन्य संगठन को गज, अश्व तथा पैदल में बाँटा गया था। इस समय दुर्गों की सुरक्षा के लिए पृथक व्यवस्था थी। आन्तरिक शान्ति व सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस संगठन को स्थापित किया गया था। जो गुप्त वंश के समान दण्डवासिक या दण्डपासिक नामक उच्च अधिकारी के द्वारा संचालित होता था इस समय दण्डोपासिक तथा कुटुक का भी उल्लेख किया गया है जो आन्तरिक सुरक्षा हेतु नियुक्त किये गये थे। इनका उद्देश्य भी शान्ति व्यवस्था बनाये रखना था। इस प्रकार पौरव वंशजों ने उच्चकोटि की प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी। प्राचीन उत्तराखण्ड में कत्यूरी वंश द्वारा सबसे विशाल तथा समृद्धशाली शासन किया गया इनकी राजधानी कार्तिकेयपुर थी। इस वंशज के संस्थापक के रूप में बसन्त देव को माना जाता है। इस राजवंश का नाम कत्यूरी मानने के लिए ठोस साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। जिस प्रकार कुणिन्द तथा पौरव वंश के साम्राज्य के साक्ष्य अपने वंशजों को उल्लेखित करते हैं। इनका शासन काल लगभग 700 ई0 से 1050 ई0 तक रहा होगा। ***"ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में भी "अस्थायी रूप से" ही सही, शिव प्रसाद डबराल ने भ्रमवश 'कत्यूरी' नाम का प्रयोग किया।"***[23]

Estelar

कत्यूरी वंशजों के शासन प्रणाली में केन्द्रिय तथा प्रान्तीय दोनों शासन प्रणालियों का वर्णन प्राप्त होता है। केन्द्रिय शासन का प्रधान राजा होता था। इस समय सुदृढ़ शासन व्यवस्था के साथ आन्तरिक शान्ति व सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग का गठन किया गया था। जिसका उच्च पदस्त अधिकारी महादण्डनायक तथा दण्डपासिक के रूप में नियुक्त था। जिसके अन्तर्गत दण्डिक, चाट, भाट आदि छोटे कर्मी भी राज करते थे। इस काल में अपराधियों को पकड़ने हेतु अलग अधिकारी की नियुक्ति की गयी थी जिसको दोषापराधिक कहा जाता था जो पुलिस विभाग से सम्बद्ध था परन्तु कार्य के आधार पर पृथक था।

इस काल में पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना भी कर रखी थी जो राज्य की समस्त गुप्त तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं को राजा को प्रदान करता था। जिसका सर्वोच्च अधिकारी दुःसाध्यसाधनिक था। चोर तथा डाकुओं को पकड़ने के लिए भी इस काल में पृथक से अधिकारी की नियुक्ति की गयी थी जिसे चोरोद्धरणिक के रूप में जाना जाता था। इन सबसे ज्ञात होता है कि कत्यूरी वंशजों के समय राज्य की आन्तरिक सुरक्षा बेहद सुदृढ़ आधार की थी इस समय यात्राओं को करना सुरक्षित माना जाता था। ***"उत्तराँचल में कत्यूरी शासनकाल में कला–कौशल की विशेष उन्नति हुई।"***[24]

कत्यूरी वंशजों में उपरिक नामक अधिकारी जो प्रान्तपति होता था जिसके अन्तर्गत प्रान्तों के आयुक्त होते थे जो प्रशासन की अनेक इकाईयों का शासन देखते थे। प्रान्तों को भुक्ति कहा जाता था। इन भुक्तियों को अनेक विषयों अथवा जिलों में बाँटा गया था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी जहाँ पर पुलिस व प्रशासन का कार्य महामनुष्य तथा मुकद्दम नामक अधिकारी करता था। चंद वंश की स्थापना के समय कत्यूरी वंश का पराभव हो गया। चंद वंश का शासन काल 1000 से 1790 ई0 तक रहा। इस प्रकार प्राचीन उत्तराखण्ड में कत्यूरी राज्य का सबसे अधिक विकास हुआ।

2.2.2 मध्यकालीन पुलिस का स्वरूप :–

कुमाऊँ तथा गढ़वाल प्राचीनकाल से ही दो प्रमुख उत्तराखण्ड के भूखण्ड रहे हैं। मध्यकाल से पूर्व कुमाऊँ तथा गढ़वाल में चंद तथा पंवार वंश की स्थापना लगभग एक सी परिस्थितियों में हुआ। चंद शासन का वर्णन तत्कालीन मुस्लिम साहित्यों में भी प्राप्त होता है। चंद शासकों के समय राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होता था चन्द राजाओं ने अपनी बुद्धि चातुर्य से दिल्ली के सुल्तानों तथा बादशाहों को खुश रखने में सफलता प्राप्त की थी।

Estelar

चंद राजाओं के राजकाल में अपनी प्रजा का सहयोग लेते थे प्रजा की चार बुढा, पाँच थोक, चार चौथानी, छः धरिया, बारह अधिकारी, पंच बिडिया, खतीमन ब्राह्मण तथा पौरी पन्द्रह विश्वा कुल लगभग आठ वर्गों में बाँटा था। समय के अनुसार चंद शासन काल में महरा तथा फर्त्याल वर्ग की शासन में भूमिका रहती थी जिस वर्ग का प्रजा में अधिक प्रभाव होता था उस वर्ग के ही उच्चधिकारियों की नियुक्ति होती थी चंद काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रशासन होता था। ग्राम का प्रशासन प्रधान के अधीन होता था। यह गाँव में भूराजस्व वसूली के साथ ही पुलिस का कार्य भी करता था। ग्राम में प्रधान की सहायता के लिए कोटाल तथा पहरी होते थे। कोटाल का कार्य लेखावही तैयार करना था। पहरी ग्राम में चौकीदारी करता था। पहरी सामान्यतहः निम्न जाति का होता था। ***"तिमूर की आत्मकथा मुलफुजात–इ–तिमूरी के अनुसार गंगाद्वार के आसपास शिवालिक का प्रथम युद्ध राय बहरूज के साथ तथा यमुना–पार के शिवालिक में द्वितीय युद्ध राजा रत्नसेन से हुआ।"***[25]

चंदों द्वारा लोकप्रिय शासन व्यवस्था का निर्माण किया गया। इनके शासन काल में प्रजा का अत्यधिक सहयोग रहता था। चंद शासकों द्वारा एक शक्तिशाली सेना का गठन भी किया गया था जिसमें पैदल तथा घुड़सवार अधिक थे। जनता का सहयोग अधिक से अधिक होने के कारण आन्तरिक रूप से अशान्ति का स्वरूप बहुत कम दिखायी देता था।

पंवार वंश गढ़वाल का प्रमुख राजवंश था। इस वंशज के काल में राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था वह राज्य की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का स्वामी होता था। राजा की सहायता के लिए दीवान व वजीर मुख्य रूप से होते थे। पंवार वंश की सेना पैदल तथा घुड़सवारों के रूप में थी। पंवार राजाओं के पास अपनी विशाल सेना भी थी। इनके पास युद्ध के समय में उपयोग हेतु बन्दूकें तथा तोप इत्यादि भी थे। इस शासन काल के समय शासन व्यवस्था पंचायत पर आधारित थी पंचायत का निर्णय सर्वमान्य होता था। गम्भीर मामले ही गोलदारों तथा फौजदारों के पास पहुँचते थे तथा अन्य मामलों को पंचायत द्वारा ही निस्तारित कर दिया जाता था।

पंवार वंश के राज्य में राजा के द्वारा हत्या, डकैती तथा राजद्रोह के मामलों में ही हस्तक्षेप किया जाता था। सामान्य मामलों में आर्थिक दण्ड दिया जाता था परन्तु राजद्रोह व हत्या के मामले में मृत्युदण्ड भी दिया जाता था। दण्ड का प्रावधान कुल तथा वर्ण अथवा

Estelar

जाति देखकर भी दिया जाता था। इस प्रकार आन्तरिक कानून व्यवस्था तथा शान्ति की स्थापना हेतु उत्तम प्रशासन व्यवस्था का निर्माण इस काल के दौरान किया गया था। वाह्य शासकों से सन्धि करने तथा दिल्ली के सुलतानों को खुश रखने में निपुण थे। ***"पंवारवंश के 43वें राजा बलभद्र शाह को दिल्ली के सम्राट जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर ने शाह की उपाधि दी तथा उनके विशिष्ट कार्यों के लिए उन्हें बहादुरशाह के नाम से विख्यात कर दिया गया।***[26]

इस प्रकार पंवार वंशीय राजाओं द्वारा एक सक्षम शासन व्यवस्था का निर्धारण किया। गढ़वाल राज्य की समृद्धि में वृद्धि भी की थी। पंवार वंश के समापन के साथ ही उत्तराखण्ड में गोरखा साम्राज्य का गठन हुआ। गोरखा सेना द्वारा पूर्णरूप से सेना पर आधारित प्रशासन व्यवस्था का निर्धारण किया गया। गोरखाओं द्वारा 1790 ई0 में कुमाऊँ में तथा 1804 ई0 में गढ़वाल में अपने साम्राज्य को स्थापित किया जिसका पराभव शीघ्र ही 1815 में हो गया। गोरखा साम्राज्य सरल न्याय व्यवस्था होने के उपरान्त भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी। इनके सेनापति जनता पर बेहद अत्याचार करते थे। इनका सैन्य प्रशासन बेहद सुदृढ़ था। सेना में दो प्रकार के जवान रहते थे। जो आधे स्थायी तथा आधे अस्थायी होते थे। प्रशासन व्यवस्था का प्रत्येक अधिकारी एक सैनिक भी होता था या सैन्य अधिकारी भी होता था उस समय गोरखाओं द्वारा किया गया राज कठोरता के कारण आज भी गोरख्याणी के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रकार गोरखा शासन में गुण की अपेक्षा अवगुण अधिक थे। 1815 में अंग्रेजों से युद्ध में पराजित होने के उपरान्त गोरखाओं ने इस प्रान्त को छोड़ दिया।

2.2.3 आधुनिक कालीन पुलिस का स्वरूप :–

उत्तराखण्ड में गोरखा शासन के समाप्त होने उपरान्त टिहरी गढ़वाल के टिहरी रिसायत में अप्रत्यक्ष रूप से तथा सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। 1815 ई0 में ब्रिटिश शासक ई0 गार्डनर को कुमाऊँ का प्रथम शासक नियुक्त किया गया। छः माह बाद उनके सहायक ट्रेल को कमिश्नर नियुक्त किया गया। ट्रेल द्वारा कुमाऊँ में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़े मजबूत करने में अहम भूमिका निभायी गयी। ट्रेल ने 1823 का बन्दोबस्त बनाया जो 80 साल का बन्दोबस्त कहलाता है जो अब तक का आदर्श न्यायोचित बन्दोस्त कहलाता है। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1855 में मालगुजारी के विषय में

Estelar

नियम बने। 1856 में मेजर जेनरल हेनरी रामजे को कुमाऊँ का शासक बनाया जो सबसे अधिक लोकप्रिय शासक थे।

रामजे कुमाऊँ में राजस्व पुलिस के सबसे बड़े पक्षधर थे उनका मानना था भारतीय ग्रामीण पुलिस जो राजस्व पुलिस है भारत की सबसे उत्तम पुलिसिया व्यवस्था में से है जो सस्ती तथा कम खर्चीली भी है। इसका फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए। धीरे–धीरे कुमाऊँ तथा गढ़वाल में अपराधों की कमी के कारण नियमित पुलिस की आवश्यकता को नहीं समझा गया तथा 1921 के कुली बेगार आन्दोलन आदि को छोड़कर उत्तराखण्ड में ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध अन्य कोई आन्दोलन भी नहीं हुए। इस कारण सम्पूर्ण उत्तराखण्ड जहाँ प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन था नियमित पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं महसूस हुई। इस प्रकार उत्तराखण्ड में स्वतन्त्रता के पूर्व तक राजस्व पुलिस द्वारा ही नियमित पुलिस का कार्य भी किया गया।

1937 में कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार द्वारा भी पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस व्यवस्था को ही बनाये रखने पर बल दिया। अल्मोड़ा, नैनीताल तथा गढ़वाल के जिलाधिकारियों द्वारा राजस्व पुलिस व्यवस्था को ही बनाये रखने पर बल दिया केवल उसके स्वरूप को गुणात्मक आधार पर सुधारने पर बल दिया। इस समय यह माना गया कि राजस्व पुलिस की योग्यताओं, प्रशिक्षण, वेतन तथा नियमावली में सुधार कर उसे और प्रभावशाली बनाया जाय। ब्रिटिश काल में ग्राम का मुखिया पटवारी होता था जिसे समस्त पुलिसिया अधिकार प्राप्त थे वह किसी भी सन्देहास्पद स्थिति में किसी भी व्यक्ति को बन्दी बना सकता था तथा ग्राम स्तर के वादों का निस्तारण अपने स्तर तक कर सकता था। जो पेशकार से निचले क्रम का होता था। ***"पेशकार को पुलिस उपाधीक्षक के बराबर की शक्तियाँ दी गयी थी।"***[27]

उस समय उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में पेशकार के 39 तथा नायब तहसीलदार के 64 पद स्वीकृत थे। प्रारम्भ में उत्तराखण्ड में पटवारियों की कुल संख्या 63 थी। जिनका वेतन मात्र 5 रु0 प्रतिमाह था जो ब्रिटिश सरकार के लिए सस्ती तथा एक लोकप्रिय प्रशासन व्यवस्था थी। ब्रिटिश शासन के समय ग्रामीण स्तर पर पटवारी, कानूनगो (पेशकार), थोकदार तथा पधान के रूप में ऐसी व्यवस्था थी जो अंग्रेजी हुकुमत का नायाब उदाहरण था। जिसमें थोकदार व पधान ग्राम प्रतिनिधि के रूप में होते थे। कुमाऊँ में 1922 में जारी अधिसूचना के माध्यम से राजस्व कर्मचारियों को पुलिस शक्तियाँ भी प्रदान की

Estelar

गयी थी। पटवारी का कार्य राजस्व वसूली के साथ पुलिस व्यवस्था को भी सभालना था। *"पटवारियों को शासनादेश संख्या 1088/1–42 दिनांक 1 मई 1919 के अनुसार भूराजस्व एवं अन्य देयो की वसूली, पुलिस अधिकारी के रूप में कर्तव्य, भूमि से सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव, वनों से सम्बन्धित कार्य और न्यायालय के निर्देशानुसार भूमि से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सौंपा गया।"*[28]

राजस्व पुलिस व्यवस्था के विषय में उल्लेखनीय कार्यों के होने के कारण समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पर्वतीय जिलों में नागरिक पुलिस व्यवस्था लाने की असहमति व्यक्त की गयी। इसके उपरान्त 1930 में राजस्व पुलिस बिल 1938 तैयार हुआ जो लागू नहीं हो पाया। पर्वतीय जिलों के पर्वतीय ग्रामों में आज भी राजस्व पुलिस का पुराना स्वरूप चल रहा है। परन्तु उत्तराखण्ड में स्वतन्त्रता के पश्चात् उत्तर प्रदेश पुलिस के समान व्यवस्था लागू की गयी।

उत्तराखण्ड में टिहरी गढ़वाल को अंग्रेजों द्वारा टिहरी रियासत के रूप में गोरखाओं से मुक्त कर सुदर्शनशाह को दे दी। सुदर्शनशाह से मानवेन्द्र शाह (1815 ई0 से 1949 ई0) के शासन काल तक चली। टिहरी शासन में दीवान व वजीर इनके रियासत का महत्वपूर्ण केन्द्रिय अधिकारी थे। दीवान प्रशासनिक कार्यो में राजा की सहायता करते थे। *"टिहरी नरेशों के शासन काल में सुदर्शनशाह से कीर्तिशाह के शासन काल तक राजा के आदेशों, ताम्रपत्रों, सनदों को लिखने वाला अधिकारी लेखवार कहलाता था।"*[29]

टिहरी रियासत में लेखवार का राजा के आदेशों व सनदों को लिखने का कार्य था। दफ्तरी राजा के आदेशों को पहुँचाता था व वख्सी सैन्य व्यवस्था का संचालन करता था। प्रान्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रान्तीय अधिकारी या परगनाधिकारी था। थानों का मुख्य अधिकारी उस समय थानेदार होता था। कीर्तिशाह के समय तहसीलदारों की नियुक्ति भी की गयी थी। उन्होंने परगनों की सुव्यवस्था हेतु सुपरवाइजर नामक अधिकारी की नियुक्ति भी की थी। इसका काम पट्टी के पटवारियों के काम की देखरेख करना था। ग्राम व्यवस्था को उत्तम बनाने हेतु कमीण–सयाणों की नियुक्ति की गयी थी। इस रियासत में कामदार तथा पधानों की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया था। पधान की इस काल में तीन श्रेणियाँ थी। मालगुजार प्रधान, घर प्रधान तथा मुख्तार प्रधान अपनी इच्छा से पहरी की नियुक्ति भी कर सकता था। टिहरी रियासत में न्याय व्यवस्था उत्तम आधार की थी।

Estelar

टिहरी रियासत में जघन्य अपराध ना के बराबर थे। इस कारण पुलिस व्यवस्था की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं केन्द्रित हुआ था। प्रताप शाह के शासन काल में राज्य में पुलिस का सूत्रपात हुआ। टिहरी नगर में एक पुलिस स्टेशन बनाया गया। कीर्तिशाह के शासनकाल में सुरक्षा के लिए राज्य में अनेक पुलिस स्टेशनों की व्यवस्था की गयी। पुलिस को दो भागों सिविल पुलिस तथा सशस्त्र पुलिस के रूप में बाँटा गया। ***"सशस्त्र पुलिस का कार्य जेल, कोषागार तथा राजमहल की रक्षा करना था। सशस्त्र पुलिस मात्र टिहरी में रहती थी।"***[30]

इस रियासत में पुलिस को चुस्त तथा फूर्तिला बनाने हेतु युवकों को देहरादून प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता था। नरेन्द्र शाह के समय राज्य में स्थायी पुलिस बल को बढाया गया। इस समय पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस होता था। इस शासक (नरेन्द्र शाह) के काल के अन्तिम दिनों तक पुलिस के अत्याचार अत्यधिक बढ़ गये थे। पुलिस अधिकारियों के मुँह से निकले शब्द ही कानून का रूप माने जाते थे। ग्रामीण पुलिस के अतिरिक्त सन् 1942 तक 150 सिपाही कार्यरत थे तथा 50 सशस्त्र सिपाही भी नियुक्त थे। जेल प्रशासन के तहत प्रारम्भ में कोई जेल नहीं थी परन्तु धीरे–धीरे इनका निर्माण हुआ। कीर्तिशाह ने राजधानी टिहरी में जेल खाना बनवाया। जेल की व्यवस्था जेलर द्वारा संचालित होती थी। ***"जिस अपराधी को लम्बी सजा भुगतनी पड़ती थी, उसे देहरादून जेल भेजा जाता था।"***[31]

जेल में कैदियों के साथ जेल अधिकारियों द्वारा कठोरता के साथ अत्याचार भी किये जाते थे। सम्पूर्ण स्थिति का अवलोकन करने पर टिहरी रियासत का प्रशासन उत्तम आधार का था। ब्रिटिश शासन के समय उत्तराखण्ड में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में दो प्रकार का ब्रिटिश शासन था।

2.2.4 स्वतन्त्रता के पश्चात् पुलिस का स्वरूप :–

स्वतन्त्रता के पश्चात् उत्तराखण्ड के दोनों मण्डलों तथा टिहरी रियासत उत्तर प्रदेश के अभिन्न अंग हो गये। 1861 के पुलिस एक्ट के अनुसार हर प्रदेश में पुलिस विभाग का सर्वोपरि पुलिस अधिकारी 'इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस' होगा। 1974 ई0 के बाद कई प्रान्तों में सर्वोपरि पुलिस अधिकारी 'डायरेक्टर जेनरल' कर दिया गया है। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी की गयी। जिसके नीचे आवश्यकतानुसार डिप्टी इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस (डी0आई0जी0) होंगे। जिनका निश्चित क्षेत्र का उत्तरदायित्व होगा। जिलों में वरिष्ठ पुलिस

Estelar

अधीक्षक (एस0एस0पी0) पुलिस का मुख्य अधिकारी होगा जिसके नीचे एक या दो (शहर या देहात) सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस होंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिलाधीश के कंट्रोल या नियमन में काम करेंगे। 1983 में डी0जी0पी0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 14 इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस थे।

1983 में उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश का अंग था इसलिए उस समय प्रदेश का पुलिस प्रमुख डायरेक्टर जेनरल पुलिस (डी0जी0पी0) था जिसके अन्तर्गत इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जेनरल (प्रथम), डिप्टी इंस्पेक्टर जेनरल (द्वितीय) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस, असिंटेन्ट सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस, डिप्टी सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस, इंस्पेक्टर, सब–इंस्पेक्टर, असिंटेन्ट सब इंस्पेक्टर, हेड कास्टेबुल तथा कास्टेबुल क्रमबद्ध आधार पर होते थे। इसके अतिरिक्त पुलिस के पास व्यावहारिक विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस मोटर ट्रासपोर्ट विभाग, उ0प्र0 पुलिस रेडियो विभाग, उ0प्र0 अग्नि शमन सेवा, पुलिस ट्रेनिंग इत्यादि थे। सशस्त्र पुलिस बल के रूप में प्रादेशिक आर्म्स कास्टेबुलरी (पी0ए0सी0) भी थी। इस पुलिस को दंगा व झगड़े के समय ही नहीं अपितु मेला व राज्य समारोहों के उपलक्ष्य पर भी काम में लाया जाता था। इस दल में इंस्पेक्टर को सूबेदार तथा सब इंस्पेक्टर को जमादार कहा जाता था।

डिप्टी इंस्पेक्टर जेनरल पुलिस या तो किसी विशेष विभाग का उत्तरदायी होता है। जैसे– रेलवे पुलिस, पुलिस हेडक्वार्टर्स, सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी0) सी0आई0डी0 (खुफिया विभाग) इत्यादि। पुलिस का मुख्य कार्य अपराध पर नियन्त्रण करना था जिले स्तर पर इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार था या है। वह जिले को क्षेत्रों में बाँटता है। जहाँ डिप्टी सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस की नियुक्ति की जाती है तथा कुछ स्थानों या प्रदेशों में इस अधिकारी को सर्किल आफिसर (सी0ओ0) भी कहते हैं। आबादी के आधार पर थानों का निर्धारण होता है। 1983 में उत्तर प्रदेश में 1259 थाने तथा 186 चौकियाँ थी।

सन् 2000 में उत्तर प्रदेश से पृथक होकर उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण हुआ इस राज्य में भी उत्तर प्रदेश के समान ही पुलिस विभाग का निर्धारण किया गया तथा जिसके प्रमुख के रूप में डायरेक्टर जेनरल पुलिस (डी0जी0पी0) नियुक्त हुआ। जो राज्य की सम्पूर्ण कानून एवं व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। उत्तराखण्ड में ए0डी0जी0पी0 (कार्मिक) की नियुक्ति का प्रावधान भी है जो डी0जी0पी0 के मातहत होता है। उत्तराखण्ड राज्य भी दो मण्डलों में विभाजित है जिसमें पुलिस प्रधान अधिकारी के रूप में डिप्टी

Estelar

इंस्पेक्टर जेनरल (डी0आई0जी0) की नियुक्ति की जाती है। पुलिस के अर्न्तगत अन्य डी0आई0जी0 की नियुक्ति भी की जाती है। जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ही सम्पूर्ण पुलिस व्यवस्था (कानूनी तथा आन्तरिक सुरक्षा) के लिए उत्तरदायी होता है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने जिले को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करता है जहाँ पर क्षेत्राधिकारी (सी0ओ0) को नियुक्त किया जाता है। जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक भी होते हैं बड़े शहरों में एस0पी0 (सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस) सिटी के रूप में भी होते हैं। देहरादून जिले में अपर पुलिस अधीक्षक (शहर) तथा अपर पुलिस अधीक्षक (देहात) के रूप में भी तैनाद है। एक क्षेत्र में अनेक थाने या चौकियाँ भी होती है। थानाध्यक्ष सब इंस्पेक्टर से कम पद का व्यक्ति नहीं होता है। चौकियों पर भी सहायक सब इंस्पेक्टर से कम पद का चौकी प्रभारी नहीं होता है। थाने के अन्तर्गत चौकियाँ भी हो सकती हैं या नहीं परन्तु प्रत्येक चौकी किसी न किसी थाने से सम्बद्ध अवश्य होती है। उत्तर प्रदेश के समान उत्तराखण्ड में भी पी0ए0सी0 (सशस्त्र बल) है तथा सभी सुविधाएँ पृथक राज्य के पास भी है जिनके प्रधान अधिकारी डी0आई0जी0 रैंक के होते हैं। इस प्रकार उत्तराखण्ड पूर्व में उत्तर प्रदेश का अंग था इसलिए उत्तर प्रदेश के समान समस्त पुलिस व्यवस्थाएँ उत्तराखण्ड के पास भी है।

Estelar

सन्दर्भ सूची

1. **वर्मा परिपूर्णानन्द** : "भारतीय पुलिस" (खारबेल का हाथी गुम्फा लेख), संस्करण 2000 पृष्ठ–1।
2. **विजय शंकर** :13वां अध्याय।
3. **शुक्रनीतिः** (1/14)।
4. **स्तम्भ लेखः**दिल्ली–शिवालक–4।
5. **वर्मा परिपूर्णानन्दः** "भारतीय पुलिस", संस्करण–2000, पृष्ठ–3।
6. **वर्मा परिपूर्णानन्दः** "भारतीय पुलिस", संस्करण–2000, पृष्ठ–4।
7. **शुक्रनीति**(2/107–113)।
8. **सिंह प्रकाशः** "दैनिक जागरण" (सम्पादकीय), दिनांक 22 सितम्बर 2014।
9. **सिंह प्रकाशः** "दैनिक जागरण" (सम्पादकीय), दिनांक 26 दिसम्बर 2015।
10. **वर्मा परिपूर्णानन्दः**"भारतीय पुलिस", सन्–2000 पृष्ठ संख्या 37।
11. **वर्मा परिपूर्णानन्दः** "भारतीय पुलिस", ब्रिटिश लोकसभा (हाउस ऑफ कामन्स) 30 जून 1914, संस्करण– 2000 पृष्ठ संख्या– 85।
12. **वर्मा परिपूर्णानन्दः** "भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000 पृष्ठ संख्या– 88।
13. **वर्मा परिपूर्णानन्दः**"भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000 पृष्ठ संख्या– 101
14. **वर्मा परिपूर्णानन्दः**"भारतीय पुलिस" (कथन– सर डेविड पेट्री), संस्करण– 2000 पृष्ठ संख्या– 110।
15. **प्रेमपाल शर्मा** :"दैनिक जागरण" (सम्पादकीय), दिनांक 19 दिसम्बर 2015।
16. **वर्मा परिपूर्णानन्दः**"भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000 पृष्ठ संख्या– 8–9।
17. **वर्मा परिपूर्णानन्दः**"भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000 पृष्ठ संख्या– 9।
18. **वर्मा परिपूर्णानन्दः**"भारतीय पुलिस", संस्करण– 2000 पृष्ठ संख्या– 13।
19. **पाण्डेय अजय शंकरः**"स्वाधीनता संघर्ष व पुलिस", संस्करण– 2000 पृष्ठ–28।
20. **पाण्डेय अजय शंकरः**"स्वाधीनता संघर्ष व पुलिस", संस्करण– 2000 पृष्ठ–31।

Estelar

21. **जॉन मार्शलः**"तक्षशिला" खण्ड–2 दिल्ली (पुन0), पृष्ठ–793।

22. **गुप्ते वाई0आर0**:(सम्पा0) एपि0इ0 खण्ड 13, पृष्ठ–109–112।

23. **डबराल शिव प्रसादः**"उत्तराखण्ड का इतिहास" खण्ड–3, संस्करण वि0स0– 2026 पृष्ठ– 440–41।

24. **बलूनी दिनेश चन्द्रः**"उत्तराँचल–संस्कृति लोकजीवन इतिहास एवम् पुरातत्व" संस्करण–2001 पृष्ठ–7।

25. **ईलियर तथा डाउसनः**"भारत का इतिहास" (मुलफुजात–ए–तिमूरी), तृतीय खण्ड हिन्दी अनुवाद–1974।

26. **बलूनी दिनेश चन्द्रः**"उत्तराँचल–संस्कृति, लोक जीवन, इतिहास एवं पुरातत्व" संस्करण– 2001 पृष्ठ–8।

27. **उपाध्याय देवेन्द्रः** "उत्तराखण्ड में राजस्व पुलिस व्यवस्था", संस्करण– 2011 पृष्ठ–12।

28. **उपाध्याय देवेन्द्रः**"उत्तराखण्ड में राजस्व पुलिस व्यवस्था", संस्करण– 2011 पृष्ठ–13।

29. **नेगी शन्तन सिंहः** "मध्य हिमालय का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास", सन् 1988 पृष्ठ–19।

30. **ए0ए0रि0टि0ग0 स्टेट** :सन् 1909–10 पृष्ठ–4।

31. **क्षे0अभि0 देहरादूनः**डिपार्टमेन्ट–6, फाइल–डी कैसे 68(4) सन् 1944–45।

Estelar